**वर्ष : 20 नं. : 4 (71वाँ अंक)**

**अक्टूबर-डिसंबर 2015**

**विचार**

सहभागिता और विकेन्द्रित आयोजन

विकास विचार

सहभागिता और विकेन्द्रित आयोजन

यह संपादकीय राजस्थान के जोधपुर जिले की पंचायत समिति बालेसर की ग्राम पंचायत जुड़िया के महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिक जब काम से लौट रहे थे, उस समय उनके साथ हुई बातचीत पर आधारित है। वे तालाब को गहरा कर रहे थे और वे पिछले 10 वर्षों से नियमित रूप से यह काम कर रहे थे। यह तालाब ऊंचाई पर स्थित होने और जलग्रहण क्षेत्र नहीं होने के कारण इसमें वर्षा का पानी रोकने की क्षमता नहीं थी। इसके बावजूद, इस तालाब को गहरा करने का काम वर्षों तक जारी रहा। हालांकि, इसके माध्यम से रोजगार मिलता रहा जो एक अच्छी बात थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन अन्य कार्यों को किया जा सकता था, उनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। कुछ चर्चा के बाद, उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान उनके गांवों से काफी बरसाती पानी बहता है और हर साल बरसात के मौसम के दौरान इस बहाव से पास के 17 खेतों में कटाव होता हैं। हर साल, उपजाऊ भूमि के धूल जाने से उन खेतों के किसान एक भी फसल नहीं उगा सकते। बरसाती पानी के प्रवाह, इसके जलग्रहण क्षेत्र में प्राकृतिक पानी मार्ग और पास के खेतों को दिखाने के लिए उन्होंने जल्दी से एक नक्शा बना दिया। ये उत्साहित लोग हमें उन स्थानों पर ले गए और उनके बनाए नक्शे में दी गई जानकारी के बारे में हमें समझाया। यह हमारे लिए शैक्षिणिक अनुभव था। अंत में, ग्रामीणों द्वारा निर्धारित लगभग सभी कार्यों को महात्मा गांधी नरेगा 2015-16 की पूरक कार्य योजना में शामिल किया गया।

ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से समुदाय के साथ मिलकर योजना विकसित करने का प्रावधान (धारा 243 जी) दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम ग्राम सभा के पारित प्रस्ताव को अंतिम मानकर सहभागितायुक्त आयोजन के कामकाज पर जोर देते हैं। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को निर्बन्ध राशि देने के वित्त मंत्रालय के नवीनतम दिशा निर्देश सार्थक वित्तीय हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्य सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गयी ग्राम पंचायत विकास आयोजन (जीपीडीपी) की व्यवस्था में विकेन्द्रीकृत योजना के साथ वित्तीय आवंटन के प्रभावी इस्तेमाल के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण भी शामिल होगा। इसके साथ ही पंचायत - गांव, ढाणी के गरीब और सीमांत परिवारों की वंचितता पर ध्यान देगी एवं महात्मा गांधी नरेगा तथा अन्य कार्यक्रमों से जुड़े गरीबी उन्मूलन योजना के माध्यम से उनकी आजीविका के अवसरों पर ध्यान देगी।

ग्रामीण विकास विभाग में शामिल सभी योजनाओं (मुख्य रूप से महात्मा गांधी नरेगा, आईएवाई, कौशल्या विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पिछले दो वर्षों में, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश भर में शुरू की गई सघन सहभागी नियोजन अभ्यास (आईपीपीई) के माध्यम से जुड़ाव तथा सहभागी आयोजन का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। इस काम-काज के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का उपयोग बड़े पैमाने पर सामुदायिक लामबंदी के एक साधन के रूप में किया गया है। आईपीपीई ने मुख्य रूप से एसएचजी के सदस्यों और स्थानीय युवाओं को शामिल करके स्थानीय संसाधन समूहों का गठन किया है। सहभागितायुक्त आयोजन की प्रक्रिया समझाने लिए इन समूहों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस काम-काज का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों के लिए आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना और गरीबी की बहु-आयामी प्रकृति को प्रभावित करना है। आईपीपीई के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पंचायतों व सामुदायिक संगठनों के गरीब परिवारों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने के उदाहरण मौजूद हैं। केरल का कुदुम्बश्री कार्यक्रम सार्वभौमिक सहभागितायुक्त ग्रामीण विकास आयोजन की प्रक्रिया और कार्यान्वयन के लिए विविध कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) द्वारा महाराष्ट्र, असम, झारखंड और उड़ीसा में जनवरी 2014 में प्रायोगिक परियोजनाओं में, पीआरआई-सीबीओ मेलजोल का शुभारंभ किया गया था। गरीब परिवारों की पहुंच आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक हो सके, इसके लिए इस परियोजना के तहत ग्राम सभा में गरीब परिवारों की महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। विकास लक्षी योजनाओं के बारे में लोगों की जागरूकता में वृद्धि हुई और इस योजना के कार्यान्वयन में भी सुधार हुआ। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क के बीच सहयोग के माध्यम से ग्राम सभा में गरीब परिवारों में सक्रिय भागीदारी बढ़ायी जा सकती है। स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क में नागरिकों की भागीदारी, विचार व आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति को बढ़ाने की क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर सेवा प्रदान की जाती है और कार्यक्रम की व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है।

इसमें विकेन्द्रीकृत सहभागितायुक्त और सहयोगात्मक योजना की पद्धति और प्रक्रियाओं को दिखाया गया है। अब यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से सहभागी योजना और जुड़ाव का क्रियान्वयन करने के लिए कार्यों, धन और कर्मचारियों को ठीक से सौंपते हुए, जिला आयोजना समिति (डीपीसी) जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाकर पंचायती राज संस्थाओं, सीबीओ और नागरिक समाज संगठनों सहित संगठनों की क्षमताओं में वृद्धि करके इस काम को आगे बढ़ाए।

विकास विचार

सहभागी आयोजन के लिए पंचायत एवं स्व-सहायता समूह के बीच समन्वय

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और यूएनडीपी द्वारा 11 से 15 दिसम्बर 2015 के दौरान संयुक्त रूप से ग्राम स्तरीय सहभागी आयोजन के लिए पंचायत-एवं-सहायता समूह के बीच समन्वय विषय पर राष्ट्रीय शिविर आयोजित किया गया था। शिविर के लिए जारी की गई अवधारणा को यहां प्रस्तुत किया गया है।

14 वें वित्त आयोग अवार्ड ने ग्राम पंचायत के संगठनात्मक स्तर पर जागरूक स्थानीय प्रशासन के लिए व्यापक अवसर हैं। स्थानीय इकाइयों को धन के आवटन और उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एफएफसी अवार्ड के तहत खर्च करने से पहले राज्य के कानूनों के अनुसार ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कार्यो हेतु की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायतों को उचित योजना तैयार करने की जरूरत है।

ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागिता पूर्ण आयोजन

संवैधानिक आदेश के संदर्भ में पंचायत की योजनाओं को प्राथमिकता और परियोजनाओं के निर्धारण करने के स्तर पर समुदाय, को खासकर ग्राम सभा मेंे शामिल करने वाले आयोजन होने चाहिए। इसके अलावा, अनुच्छेद-243 में निर्दिष्ट सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के आदेशों का निष्पादन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में वंचितों और गरीबों की निःसहायता का उन्मूलन करने और उनके आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के तहत श्रम बजट और योजना में गरीबी समाप्त करने से संबद्ध योजना को जोड़ना चाहिए।

ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजन के लिए गौण संरचना स्थापित करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इसके दो उद्देश्य हैं - स्थानीय विकास के लिए नेतृत्व के संदर्भ में पंचायत समितियों को सक्रिय करना और सहभागिता पूर्ण नियोजन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधन करने में सहयोग उपलब्ध करवाना व भागीदारी से योजना की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता में सुधार के प्रयास करना। पंचायतों से उम्मीद है कि जिसका मूल्यांकन करना हो और जिन के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो, उनका सहभागी प्रक्रियाओं से स्थानीय विकास और कल्याणकारी कार्यों की स्थिति का विश्लेषण करे। ग्राम सभा विकास की जरूरत की प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए इस सहभागी रिपोर्ट का उपयोग करेगी। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा में तय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाकर वार्षिक योजनाएं और अनुमानित बजट तैयार करेंगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए निर्धारित समय की योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था और की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सहनिर्देशन में सहयोग प्रदान करने में सहयोग राज्य के विशेष दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। राज्यों को उचित दिशा निर्देश तैयार करने में सहयोग प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्तियों और संगठनों को राज्यों के साथ संबद्ध किया गया है। इन दिशा-निर्देशों को 16 राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है, आठ राज्यों में इनको अंतिम दे दिया गया है। दो राज्यों में दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

इसके अलावा राज्य ऐसे सहायक संगठनों की तलाश कर रहे हैं, जो ग्राम पंचायतों की सहभागी आयोजन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर सकें और इस संबंध में प्रशिक्षण के लिए भी मदद प्रदान कर सकें। स्वास्थ्य, पोषण, लिंग, प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आदि क्षेत्रीय मुद्दों का सामना करने में ग्राम सभा को सहायता प्रदान करना या प्रशासन और आजीविका के लिए उपायों पर विचार प्रस्तुत करके - इन क्षेत्रों में स्थानीय विशिष्ट योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

स्व-सहायता समूह (एसएचजी) और ग्राम पंचायत

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ढांचे में प्रस्तावित स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के नेटवर्क की जिम्मेदारियों में ग्राम सभा और पंचायत के अन्य फोरम में सक्रिय रूप से भाग लेना, समुदाय आधारित निगरानी के लिए प्रतिक्रिया देना और पंचायतों के विकास की पहल व योजना की गतिविधियों में मदद करना शामिल है। एनआरएलएम संरचना में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तय भूमिका में निम्नांकितजिम्मदारियां शामिल है। बीपीएल परिवारों की पहचान करके उनमें अत्यंत गरीब व वंचित परिवारों को प्राथमिकता देकर स्व-सहायता समूहों को सक्रिय करना विभिन्न चरणों में स्वयं सहायता समूहों की मदद करना व उनके प्रभावी निष्पादन के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजनाओं व गतिविधियों में स्व-सहायता समूह और उनके मंडलों की प्राथमिक मांग के लिए उचित वित्तीय आवंटन करना स्वयं सहायता समूह की ओर से विभिन्न विभागों और कार्यालयों के साथ सहनिर्देशन।

गरीबों की निष्क्रिय भागीदारी को ग्राम सभा की बैठकों में राय पर विचार-विमर्श प्रतिक्रिया और जरूरत की अभिव्यक्ति के रूप में तब्दील करना लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक बड़ी चुनौती है। नागरिकों को जोड़ने वाले आवश्यक क्षेत्र के अलावा, पंचायतों और स्व-सहायता समूह के नेटवर्क के बीच सहयोग के परंपरागत क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सेवा प्रदान करने और इस कार्यक्रम की प्राप्ति के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मजबूत स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से काम करने क्षेत्र की भागीदारी प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, और ज्ञान का प्रसार करने में मदद कर सकते हैं, जिससे पंचायत को अपने काम की पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। स्व-सहायता समूह की नजर से देखें तो, यह कदम स्व-सहायता समूह के सदस्यों को मिलने वाले लाभ के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

नागरिकता और संकलन

पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह अपने नियंत्रण वाले संसाधनों में गरीब वर्ग के समूहों को योजना बनाने में शामिल करे। यह जिम्मेदारी सिर्फ सहभागी योजना सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं रहकर सक्रिय, जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने तक रहती है।

स्थानीय स्तर पर विस्तृत सहभागिता युक्त प्रक्रिया का आयोजन शुरू हो चुका है, लेकिन यह सार्वभौमिक आधार या संस्थानीकरण स्तर पर शुरू नहीं किया जा सका है। ग्राम पंचायत विकास आयोजन (जीपीडीपी) सामुदायिक ढांचों की इन प्रक्रियाओं को लागू करने, नियमित और कभी-कभार भागीदारी को सक्रिय, मजबूत नागरिकता में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करता है। यह सघन सहभागी नियोजन अभ्यास (आईपीपीई) से सीखने और ग्राम पंचायत द्वारा उसे योजना प्रक्रिया के साथ जोड़ने का अवसर है। एनआरएलएम की स्व-सहायता समूह के लिए इस संबंध के लाभों और अधिकारों को गरीब वर्गों तक पहुंचाने, और समानता और न्यायिकता के लिए जिम्मेदार प्रशासन बने इसके लिए लोकतांत्रिक समीकरणों का विकसित करने के अवसर हैं।

वर्तमान अनुभव

हालांकि, इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सार्थक संबंध का अनुभव देश के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा है। इस तरह के यथार्थ अनुभव के अभाव में पंचायतों का स्व-सहायता समूह के साथ संबंध का विचार ऐसा वैचारिक तर्क बन कर रह गया है, जिसका कार्यान्वयन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। प्रशिक्षण की विभिन्न योजनाओं में समुदाय या पंचायत को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन व्यापक सामान्य हित के लिए उन्हें जोड़ने का काम सरकार या कार्यालयों और सहयोग करने वाले गैर सरकारी संगठनों की प्रशिक्षण की प्रक्रिया में नहीं किया जाता।

गरीबों को उनके अधिकार और मिलने वाले लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के लिए पंचायत और सामुदायिक संगठनों द्वारा साथ मिलकर काम करने के उदाहरण पश्चिम बंगाल और तमिलनाडू में मौजूद हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के काम करने के उदाहरण मिले हैं, लेकिन इस तरह के मिलकर काम करने के संगठनात्मक स्तर पर सार्वभौमीकरण करने का एक मात्र उदाहरण शायद सिर्फ केरल में ही है।

कुडुम्बश्री राष्ट्रीय संसाधन संगठन और पंचायती राज संस्था - स्थानीय संगठनों को जोड़ने की परियोजनाएं

केरल स्थित कुडुम्बश्री ग्राम पंचायतों के स्व-सहायता समूहों के नेटवर्क के साथ संयोजन की लिए परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ) के रूप में अपनी भूमिका के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को सहयोग करने के लिए जिम्मेदार है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य एनआरएलएम के सामुदायिक संगठनों और ग्राम पंचायतों के सामूहिक काम-काज के प्रति राज्य/उप-राज्य स्तर पर दृष्टिकोण विकसित करना है।

यह परियोजना ग्राम पंचायत के द्वारा कार्यान्वित आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं को गरीबों को उपलब्ध करवाने के उपायों व तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है। इसके अलावा, यह अधिक मजबूत और आदर्श लक्ष्य के लिए मदद प्रदान करने में पंचायत को सक्षम बनाने वाले संबंधों को स्थापित करके सामाजिक न्याय के लिए पंचायतों को सशक्त बनाने सहायता प्रदान करना चाहती है। ये परियोजनाएं यह दर्शाते हुए कि इस प्रकार की जिम्मेदारी निभा रहा के संबंध गरीबों को लिए सीधे सामाजिक और आर्थिक लाभ की ओर ले जा सकते हैं, स्थानीय सरकार और गरीब वर्गों के संगठनों के बीच स्थायी संबंध के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस प्रक्रिया में, एनआरएलएम राज्य में इस काम-काज को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की एक श्रृंखला भी विकसित करता है।

संबद्धता परियोजना के तहत विकसित विविध सहभागिता युक्त तरीके और पद्धतियां जीपीडीपी के तहत स्थानीय योजना की प्राथमिकताओं के साथ जुडे रहते हैं, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

• गरीब परिवारों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं दूर करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और गरीब परिवारों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर एकत्रीकरण के साथ स्वयं सहायता समूह के स्तर पर बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सहभागी मूल्यांकन किया गया था।

• OÉÉ¨É पंचायत स्तर काम करने और क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए प्रमुख मानव संसाधन के रूप में मानव संसाधन - स्थानीय संसाधन समूह (एलआरजी) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

• OÉÉ¨É सभा में भाग के लिए स्व-सहायता समूह द्वारा महिलाओं को इकट्ठा करके काम-काज सौंपना। ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले मुद्दों पर पहले से चर्चा करना।

जनवरी 2014 में, महाराष्ट्र, असम, झारखंड और उड़ीसा में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई पंचायती राज संस्था - समुदाय आधारित संबद्धता संगठन परियोजनाएं ग्राम पंचायत द्वारा लागू आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के गरीब परिवार लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए पद्धतियों और तरीकों के विकास करने पर जोर देती है। यह परियोजना स्थानीय समूहों की रचना करने का काम करती है, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत आधारित संगठनों (मुख्य रूप से एसएचजी मंडल) की संबद्धता के पहलुओं पर ध्यान देती है, उसके अधिकारों का आलेखन करने के लिए शुरू की जाने वाली समुदाय की गतिविधियों और उससे संबंधित मुद्दों को ग्राम सभा में पेश करवाती हैं।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ग्राम पंचायत की विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए पंचायत राज संस्था के सदस्य, विशेष रूप से सरपंच और महिलाओं सदस्यों के साथ काम करते हैं, एसएचजी नेटवर्क में शामिल गरीब परिवारों को उप समितियों में सक्रिय करने का काम करते हैं। ग्राम सभा में गरीब महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने, योजना के कार्यान्वयन में सुधार और विकासात्मक योजनाओं की जागरूकता में वृद्धि, पंचायतों और महिला संगठनों के बीच एक दूसरे पर विश्वास करना इस परियोजना के लाभ हैं। महाराष्ट्र में परियोजना वाले क्षेत्रों में परियोजना शुरु होने के बाद शामिल होने वाले स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि और असम में ग्राम सभा में शामिल होने वाले स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों की संख्या में 60 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

परियोजना में महात्मा गांधी नरेगा के तहत जॉब कार्ड वाले स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में शामिल परिवारों की संख्या में भी 10 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई थी। सघन सहभागी नियोजन अभ्यास (आईपीपीई), स्वच्छ भारत और ग्राम पंचायत विकास योजना को स्थानीय स्तर पर तेज करने, स्थानीय प्रशासन व विकास योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और कार्यान्वयन की संरचनाओं और ग्रामीण आजीविका के विकास को बढ़ाने के लिए इस परियोजना की क्षमता को समझने और तत्काल लागू करना आवश्यक है। समुदाय की उच्च गुणवत्ता युक्त भागीदारी और पंचायत का मजबूत नेतृत्व इस काम-काज की निरंतर सफलता के आधार की पूर्व शर्त है।

शिविर के उद्देश्य

सहभागितापूर्ण आयोजन के लिए पंचायत - स्व-सहायता समूह संबद्धता शिविर के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• MÉ®úÒ¤É परिवारों के संगठनों के लिए पंचायतें जो कर सकती हैं तथा स्व-सहायता समूह संघ पंचायतों के विकास और कल्याणकारी कार्यों की पहल के लिए जिस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में स्पष्टता करना।

• {ÉÆSÉÉªÉiÉÒ राज संस्थाओं - समुदाय आधारित संगठनों की संबद्धता की जरूरत और रणनीतियों के बारे में महत्वपूर्ण लोगों के बीच आम सहमति बनाना।

• Ê´É¶Éä¹É रूप से ग्राम पंचायत विकास आयोजन (जीपीडीपी) के महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत और एनआरएलएम के साथ समन्वय के संबंध में स्वयं सहायता समूह के साथ पंचायती राज संस्थाओं की संबद्धता के मामले में राज्य स्तरीय क्षमता वर्धन के आयोजन की सोच बनवाना।

• {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå और एनआरएलएम के स्व-सहायता समूहों के संगठनों के बीच स्थायी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष योजना विकसित करना।

• {ÉÆSÉÉªÉiÉÒ राज संस्थाओं के समुदाय आधारित संगठनों की संबद्धता की परियोजना के निजी अनुभव।

पंचायती राज संस्थाओं - समुदाय आधारित संगठनों के संकलन की परियोजना अंतर्गत व्यक्तिगत अनुभव

**रेखा अत्रा, प्रमुख**

**जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह**

**फतेहपुर ग्राम पंचायत, देवली तहसील वर्धा जिला, महाराष्ट्र**

महाराष्ट्र के वर्धा जिले की रेखा अत्रा के अनुभवों से पंचायती राज संस्थाओं समुदाय आधारित संगठनों की संबद्धता की परियोजना की कार्य प्रणाली को समझा जा सकता है।

रेखा अत्रा ने अनुभवों में लिखा है कि उन्होंने ढाई साल पहले, अन्य महिलाओं के साथ मिलकर स्व-सहायता समूह का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हमारा विश्वास था कि अगर हम एक साथ मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे, तो हम हमारी कई समस्याओं का हल कर सकते हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमने अपने स्व-सहायता समूह जय दुर्गा स्व-सहायता समूह का गठन किया था।

इससे पहले स्वयं सहायता समूह में मेरी भागीदारी को मेरा परिवार शक की नजर से देखता था। उन्हें लगता था कि यह समय की बर्बादी है और इस तरह के मंडल में अन्य महिलाओं के साथ मेरा अनावश्यक झगड़ा होगा। इसके अलावा, मंडल के सदस्य को नियमित रूप से आपस में नहीं मिलने के कारण हमारा स्व-सहायता खास सक्रिय नहीं था।

परंतु मेरे गांव के स्व-सहायता समूह ने पिछले साल अगस्त में आयोजित वनिता सबलीकरण (बुनियादी सेवाओं के लिए भागीदारी मूल्यांकन) में मेरे गांव ने भाग लिया, तब से स्थिति बदल गयी है। इस गतिविधि में भाग लेने से हमें पूरी जानकारी मिली और साथ ही हमारे समूह की महिलाओं में इस विश्वास को पुर्नजीवित किया कि हम भी जीवन में आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ सकती हैं।

इससे पहले पुरुषों महिलाओं को हतोत्साहित करते थे और उनके अपने परिवार के खेतों में काम पर लगा देते थे। मेरे गांव की महिलाएं महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों में नहीं जाती थी। वनिता सबलीकरण में भाग लेने के बाद, हमारे स्वयं सहायता समूह की आठ सदस्यों और मैंने एमजीनरेगा के तहत काम करना शुरू किया। शुरूआत के एक सप्ताह के काम में हमें इतना मज़ा आया था कि हमने पूरे वर्ष भर महात्मा गांधी नरेगा में काम करने की इच्छा जाहिर की। वर्तमान में हम महात्मा गांधी नरेगा में तहत गलियारों की सफाई कर रही हैं।

काफी समय से हमारे पास जॉब कार्ड होते हुए भी उस कार्ड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। आज, यह जॉब कार्ड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे हमेशा हमारे पास बैग में रखते हैं। जॉब कार्ड कहीं खो नहीं जाए। अब, हमारे गांव की सभी महिलाएं महात्मा गांधी नरेगा में काम करना चाहती हैं और पुरुष भी महिलाओं को इसमें काम का आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे गांव में स्वच्छता को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।

मेरे स्व-सहायता समूह में महिलाएं यह सवाल करती थी कि हमारे घरों में शौचालय बनाने की क्या जरूरत है? इसके लिए आर्थिक कारण बताती और यह जवाब देती थी कि खुले में शौच जाने के लिए गांव में परती भूमि तो है ही। हालांकि, वनिता सबलीकरण के बाद उन्हें शौचालय का महत्व समझ में आया और अब हर महिला अपने घर में शौचालय बनाना चाहती है। पहले जब घर में शौचालय नहीं था, तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था लेकिन आज स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में उनका नाम है या नहीं, यह पता लगाने के लिए वे बार-बार पूछताछ करती हैं।

इसके अलावा, वनिता सबलीकरण के कारण मेरे गांव के पुरुषों और महिलाओं दृष्टिकोण में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब परिवार के सदस्य महिलाओं को स्व-सहायता समूहों की बैठक में भाग लेने या महात्मा गांधी नरेगा में काम करने से नहीं रोकते। पहले मेरी सासू मुझे ताना मारती थी कि स्वयं सहायता समूह की बैठक में भाग लेने के बहाने मैं समय खराब करती हूँ। अब, मेरी सासू खुद भी स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। जब भी बैठक होती है तब वहाँ मेरी सासू मुझे बैठक में उपस्थित होने के लिए जोर देती है और जब मैं बैठक में जाती हूँ, तब घरेलू कार्यों का ध्यान रखती है। यह एक बड़ा परिवर्तन है। परिवार का यह सहयोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

मेरे गांव में 15-16 एसएचजी होने के बावजूद, सभी एसएचजी की एक भी महिला लघु उद्योग नहीं चलाती है। महात्मा गांधी नरेगा का काम करने के बाद मेरे स्व-सहायता समूह के सदस्यों के पास खाली समय रहता है। उस समय का उपयोग करके मैं जल्दी ही लघु उद्योग शुरू करना चाहती हूं। हाल ही में, मुझे पड़ोसी गांव के स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा अचार और पापड़ बनाने का व्यवसाय शुरू करने के बारे में पता चला है। हमारे स्व-सहायता समूह की कुछ सदस्य 10,000 रुपये के शुरूआती निवेश के साथ ऐसा ही कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इसके लिए मेरे स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मेरी योजना भविष्य में कारोबार का विस्तार करके अन्य खाद्य वस्तुएं बनाने और हमारे स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को पर्याप्त आजीविका के अवसर सुनिश्चित करना है। मेरी योजनाएं काफी बड़ी हैं और इन योजनाओं को साकार के लिए मैं आशावादी हूँ।

बाल अधिकारों की समस्या के समाधान में पंचायतों की भूमिका:जानकारी और कार्रवाई

73वें संविधान संशोधन और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के आयोजन, कार्यान्वयन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित कर सकती है कि ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी से प्रभावी रूप से गुणात्मक और उत्तरदायित्व युक्त सेवा प्रदान की जाए। सभी वंचित समूहों के लिए यह संरक्षण आवश्यक होने के अलावा पंचायतों की एक विशेष जिम्मेदारी बाल अधिकार संरक्षण की है। अन्य किसी भी समूह की तुलना में बच्चों की स्थिति अत्यधिक दयनीय होती है। उनके पास सबसे कम राजनीतिक या सामाजिक शक्ति होती है।

ग्रामीण स्तर पर बच्चों पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्राम पंचायतों के पास छोटी लड़कियों सहित सभी बच्चों के लिए उचित अधिकार आधारित ढांचे, सामाजिक न्याय कानून और कार्यक्रमों व परियोजनाओं को लागू करने की स्पष्ट समझ और कौशल की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत को 1992 में मंजूर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनएचआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में तय अधिकारों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में समझ प्राप्त करना भी आवश्यक है। इस सभा में देश में बाल अधिकारों में तेज़ी लाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है और साथ ही यह दिखाया गया है कि समुदाय एवं निर्वाचित प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

गुजरात के साबरकांठा जिले की दो तहसीलों (विजयनगर और पोशीना) में 20 ग्राम पंचायतो के 52 प्रतिनिधियों (सरपंच, उप-सरपंच और सदस्यों) को शामिल करके अध्ययन किया गया था। अध्ययन के उत्तरदाताओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 31 प्रतिशत था। इस अध्ययन का उद्देश्य सीआरसी (अस्तित्व टिकाए रखना, विकास, संरक्षण और भागीदारी) के क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की चार श्रेणियों के तहत उत्तरदाताओं की जानकारी और समझ के स्तर तथा पंचायत के अधिकारों में तेज़ी लाने के साथ जोड़े जाने वाली गतिविधियों का आकलन करना है।

कुछ प्रमुख निष्कर्ष

**1. बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और समझ**

पंचायती राज के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उत्तरदाता: 50 प्रतिशत, बच्चों से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उत्तरदाता: 5 प्रतिशत

निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण में स्पष्ट रूप से बच्चों और उनके अधिकारों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता।

18 वर्ष से कम आयु वर्ग का व्यक्ति बच्चे के रूप में शामिल होने की समझ 52 प्रतिशत, 6 से 15 वर्ष के व्यक्ति को बच्चा मानने वाले उत्तर देने वाले उत्तरदाता: 48 प्रतिशत

बच्चों की रक्षा और बच्चों के अधिकारों में तेज़ी लाने का काम करने के लिए इस पहलू के बारे में ठीक और सही समझ विकसित करना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अधिकांश उत्तरदाताओं में इस समझ का अभाव था।

बच्चों के लिए स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में अधिकतम स्तनपान और पर्याप्त टीकाकरण हैं: 82 प्रतिशत , बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जल और स्वच्छता की उचित सुविधा और पोषण की जरूरत है: 62 प्रतिशत, रक्ताल्पता (एनीमिया) स्वास्थ्य की सामान्य समस्या मानी जाती है: 11 प्रतिशत

रक्ताल्पता (एनीमिया) और कुपोषण की गंभीरता और फैलाव को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज के प्रतिनिधियों को इसके बारे में बेहतर जानकारी होना, और उनका इस बारे में अधिक जाग्रत होना जरूरी है।

स्कूल प्रबंध समिति के बारे में जागृति: 60 प्रतिशत

शिक्षा का अधिकार के बारे में जागृति: 37 प्रतिशत

ग्राम पंचायत स्तर के पंचायती राज प्रतिनिधियों की इतनी बड़ी संख्या को शिक्षा का अधिकार के बारे में पता नहीं होना चिंता का विषय है। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन को स्वरूप देने में ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रवधान - शिक्षा के अधिकार के इस एक मात्र पहलू से अधिकांश उत्तरदाता वाकिफ थे।

जो बच्चा वयस्क व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव न करे या उसकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो उसकी पिटाई करना उचित है: 36 प्रतिशत, बच्चों के संरक्षण के बारे में सरकारी व्यवस्था से परिचित: 20 प्रतिशत, हमारे गांव में बच्चे के यौन उत्पीड़न की घटना नहीं हुई: 88 प्रतिशत।

बच्चों के प्रति दृष्टिकोण के महत्व का संबंध बच्चे की रक्षा की आवश्यकता के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। बच्चे को अनुशासन का सबक सिखाने के लिए आम तौर पर शारीरिक दंड या उसे फटकार देकर सिखाने का तरीका अपनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शारीरिक उत्पीड़न के बारे में बात करना शर्मनाक और हीनता से भरा माना जाता है। किसी भी आयु समूह द्वारा इस विषय पर खुले तौर पर बात करने या चर्चा करने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। शायद, इसी कारण से अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया था कि बच्चे के यौन उत्पीड़न के बारे में एक भी मामला उनके ध्यान में नहीं आया। इस विषय के बारे में पंचायती राज के प्रतिनिधियों को जाग्रत करने और विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ उन्हें स्वीकार करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने की जरूरत है ।

बाल पंचायत के विचार से परिचित 0 प्रतिशत

बाल ग्राम सभा के विचार से परिचित 0 प्रतिशत

पंचायत के 52 प्रतिनिधियों में से कोई एक भी इस प्रकार के मंच की जरूरत के बारे में नहीं बता सके थे। इस प्रकार के नियमित मंच में बच्चों की भागीदारी का कार्यान्वयन देश के गिने-चुने स्थलों में किया जाता है और इस कार्रवाई के महत्व के बारे में सीमित प्रचार किया जाता है।

**2. बाल अधिकारों के लिए ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही वर्तमान कार्रवाई**

बच्चों, विशेष रूप से उन बच्चों को जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है, उनका विवरण (डेटा) पंचायत में एकत्र करना और उनका रखरखाव करना। बच्चों के लिए कार्रवाई शुरू करने और लक्ष्यों के निर्धारण के लिए यह पहला तथा आवश्यक चरण है।

गांव में जन्म होने के बारे में सूचना 67 प्रतिशत, विकलांग बच्चों के बारे में सूचना 23 प्रतिशत, अनाथ बच्चों और स्थानांतरण करने वाले बच्चों की जानकारी 11 प्रतिशत, गुमशुदा बच्चों के बारे में जानकारी 6 प्रतिशत

इसके अलावा ग्राम पंचायत के पास सेवा प्रदाताओं के संपर्क संबंधी जानकारी होना आवश्यक है।

पंचायत ग्राम में उपलब्ध सेवा प्रदाताओं के सम्पर्क संबंधी जानकारी: 50 प्रतिशत, चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी और संपर्क संबंधी जानकारी से परिचित: 33 प्रतिशत

इस अध्ययन के और अन्य निष्कर्षों से पता चलता है कि बाल अधिकारों के बारे में जानकारी का स्तर, उसके बारे में समझ और इसके साथ जुड़ाव का स्तर काफी कम है। प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले प्रशिक्षण मॉड्यूल में इस संबंध में ध्यान नहीं दिया जाता, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इन प्रतिनिधियों के पास इतना अनुभव नहीं है कि वैकल्पिक धारणा विकसित कर सकें। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त जानकारी का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही बच्चों के प्रति दृष्टिकोण की पुन: समीक्षा करना जरूरी है, बच्चों पर की जाने वाली हिंसा और उनके शोषण के बारे में जानने तथा इस तथ्य को स्वीकारने को बढ़ावा देने की जरूरत है, इन पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करते समय प्रतिभागी अपने स्वयं के अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हों और भागीदारी के ऐसे तरीकों का उपयोग करना आवश्यक है, जिनसे नई परिस्थिति में खुद को मिली शिक्षा को लागू किया जा सके।

अधिक पलायन वाले क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: गुजरात राज्य के कच्छ का अनुभव

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स द्वारा वर्ष 2015 में सीएसआर के सराहनीय कामकाज के बारे में केस अध्ययन आमंत्रित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में अहमदाबाद स्थित 'कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट' (सीएफटी) के द्वारा केस प्रस्तुत किया गया था, जिसे गैर सरकारी संगठन श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 'कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट' (सीएफटी) की एरिया मैनेजर, कु. उषा एस. श्रीवास्तव द्वारा लिखे इस केस का संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

इस लेख में जिस केस को बताया गया है, वह नमक की क्यारियों में काम करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने के बारे में सीएफटी द्वारा किए गए काम के बारे में है। ये परिवार समाज के कमजोर, गरीब और सीमांत वगोर्ं के हैं। नमक की क्यारियों में काम करने वाले परिवारों के साथ उनके बच्चे भी पलायन करते हैं और वर्ष के दौरान 6-8 महीने नमक के क्षेत्र में बिताते हैं। नतीजतन, वे शिक्षा की बुनियादी सुविधा से वंचित रहते हैं और गांव में लौटने पर औपचारिक स्कूल प्रणाली उन्हें अपना नहीं पाती।

'कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट' (सीएफटी) ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) के सहयोग गुजरात में कच्छ जिले की भचाऊ और रापर तहसीलों में पलायन करने वाले समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम 2005 से लागू किया है। यह संगठन शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी) द्वारा अधिक मात्रा में पलायन करने वाले 120 गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है।

एलएएमपी (शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम) मुख्य रूप से नमक की क्यारियों में काम करने वाले परिवारों के बच्चों के आवास, भोजन, शिक्षा और उनके विकास के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले मौसमी छात्रावास स्थापित करने पर ध्यान देता है। जिस गांव में प्राथमिक स्कूल में बच्चों को भर्ती कराया गया है, वहाँ छात्रावास शुरू किया गया है। अधिकांशत: बच्चे उसी गांव में रहते हैं। इससे बच्चों को नियमित शिक्षा मिलती है और साथ ही वे खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सैर सपाटे, पढ़ने, लिखने, चित्र बनाने आदि जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा, गणित, विज्ञान, भूगोल और भाषा जैसे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ-साथ शिक्षा की प्रोत्साहक गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं। इसलिए बच्चों का पलायन रुकता है और वे बाल श्रम में जुतने से बच जाते हैं।

**परियोजना: शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी)**

मुख्य कार्यक्रम के साथ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) का शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी) देश के चार राज्यों में फैला हुआ है। यह कार्यक्रम अत्यंत पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में संचालित है, जहां शिक्षा का स्तर बेहद कम है और स्कूल (शिक्षा) के सभी चरणों में स्कूल छोड़ने की मात्रा अधिक है।

गरीब समुदायों को आर्थिक परिस्थिति के कारण वर्ष की खास अवधि में पलायन करना होता है, उसके मद्देनजर इन समुदायों के बच्चों को स्कूल छुड़वाना पड़ता है। पूरे परिवार द्वारा पलायन करने पर इसके बच्चों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ पलायन करने से उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उन्हें खतरनाक श्रम में लगाया जाता है। वे ज्यादातर ईंटों के भट्टे, नमक की क्यारियों, खेतिहर काम, निर्माण स्थलों के साथ ही जहां शोषण होता हो और बाल श्रम का ज्यादा होता हो, ऐसे अन्य कायोर्ं या स्थानों पर पलायन करते हैं। यदि शिक्षा को गति देकर बाल श्रम की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इन बच्चों को किशोर आयु वर्ग के होने से पहले उन्हें पूर्ण मजदूरी के काम में धकेल दिया जाएगा। इस प्रकार, बच्चे स्कूल जाएं और संपूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करें, यही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मात्र रास्ता है।

गुजरात में शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी) को टाटा केमिकल्स द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट गुजरात के कच्छ जिले के दूरदराज, संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में शिक्षा के खराब परिणाम के साथ स्कूल पूरी करने, बहुत ही कम शिक्षा दर जैसी समस्याओं का निवारण करने के लिए काम करता है। भारत में नमक के सबसे बड़े उत्पादक कच्छ जिले में लगभग 50,000 परिवार साल की एक निश्चित अवधि के दौरान विस्थापित होते हैं और उनके बच्चे नमक की क्यारियों या अन्य स्थानों में काम करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। कच्छ में पलायन के उच्च स्तर वाली तहसीलों में महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 26 है। कच्छ में 1952 प्राथमिक स्कूलें और 299 माध्यमिक स्कूल हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक गांव से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल होने की अनिवार्यता के बावजूद कच्छ की कई तहसीलों में स्कूल गांव से 12-13 किमी दूर स्थित हैं। प्राथमिक स्कूल में प्रवेश करने वाले हर 100 बच्चों में से 67 बच्चे उच्च प्राथमिक (मिडिल) तक पहुँचते हैं और उनमें से 38 बच्चे माध्यमिक तक पहुँचते हैं। इनमें केवल 13 लड़कियां होती हैं। माध्यमिक विद्यालय से पहले स्कूल छोड़ने की दर कक्षा 6 (16 प्रतिशत) और कक्षा 7 (26 प्रतिशत) होती है।

शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी) परियोजना का उद्देश्य पारस्परिक रुप से जुड़ी चार प्रमुख समस्याओं तथा लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कच्छ में माध्यमिक शिक्षा की मांग, पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाना है। ये समस्याएं इस प्रकार हैं:

1. गरीबी, पलायन, शिक्षा की निम्न गुणवत्ता और शिक्षा के कमज़ोर स्तर के मद्देनजर स्कूल छोड़ देने वालों की मात्रा,

2. सांस्कृतिक बाधाओं के मद्देनजर विशेष रुप से लड़कियों की शिक्षा के लिए परिवार के सहयोग की कमी,

3. स्कूल दूर होने और खर्च की वजह से माध्यमिक स्कूलों तक कम पहुँच

4. प्राथमिक स्तर पर अपर्याप्त शैक्षणिकनींव के कारण और अपर्याप्त संसाधनों व खराब प्रदर्शन वाले माध्यमिक स्कूल के कारण माध्यमिक कक्षा में स्कूल छोड़ने वालों की अधिक मात्रा।

एलएएमपी मॉडल में माध्यमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करने के लिए समानांतर काम करने वाले परस्पर संबंधित मजबूत घटकों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं:

**1) शिक्षा में वृद्धि:**

**उच्च प्राथमिक:** बुनियादी साक्षरता और गणितीय ज्ञान सहित उच्च प्राथमिक स्तर पर ज़ोर देने के साथ माध्यमिक शिक्षा के लिए बच्चो में विश्वास और ऊर्जा का संचार करना।

**माध्यमिक:** छात्रों द्वारा उनके सामने आने वाली शैक्षणिक बाधाओं का सामना करने के लिए कक्षा 9 में तैयार करना और 10 में विषय का चयन करने में उनकी लगातार सहायता करना, उनकी कक्षाओं में शिक्षण सहायक साधनों और शिक्षण प्रशिक्षण से परिपूर्ण करना और अध्ययन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे छात्रों को उनके अध्ययन, परीक्षा की तैयारी और परीक्षा मेंे प्रश्न पत्र हल करने की क्षमताओं में सुधार लाया जा सके।

**2) समुदाय को शामिल करना:** बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने और स्कूल शिक्षा को पूरा करने के लाभ के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, लड़कियों की शिक्षा के प्रति समुदाय के नज़रिए को बदलना और शिक्षा में सक्रिय रूप से सुधार करने के लिए समुदायों को सशक्त करना।

**3) बुनियादी उपलब्धता के लिए सहयोग:** बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए बच्चों को स्कूल में दाखिले, परिवहन, शिक्षा की साधन सामग्री, माध्यमिक शिक्षा वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करना, कक्षा 9 और 10 में उपलब्ध छात्रवृत्ति और अन्य संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना आदि जैसी बुनियादी सेवाओं को प्रदान करना। एलएएमपी के शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम (एलईपी) के तहत सीएफटी कक्षा 3 से कक्षा 5 के प्राथमिक स्कूल के बच्चों की शिक्षा के लिए सक्रिय रुप से काम करता है। एलईपी दो स्तरीय कार्यक्रम है: कार्यक्रम के पहले स्तर में राज्य के कक्षा 1 और 2 पाठ्यक्रम का उपयोग करके साक्षरता और गणितीय ज्ञान की त्रुटियों को दूर करने का काम किया जाता है, जबकि दूसरे स्तर पर कक्षा 3 से कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उनकी कक्षा के अनुरूप स्तर पर लाने के लिए काम किया जाता है। युवा स्वयंसेवक एलईपी के तहत स्कूल के समय को छोड़कर शिक्षा प्रदान करते हैं। एलईपी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: (1) प्रत्येक स्तर के लिए पांच महीने (300 घंटे) की शिक्षा योजना (2) बच्चों और शिक्षकों के लिए विशेष कक्षा के कमरों की डिज़ाइन, रणनीतियां और शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री (3) शिक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण और शैक्षणिकपर्यवेक्षण

सीएफटी ने हाल ही में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से कक्षा 8 और कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए विज्ञान और गणित की अतिरिक्त कक्षाओं (ट्यूटोरियल) के लिए नए मॉड्यूल का विकास किया है और उन्हें प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर चुने जाने योग्य निजी शिक्षकों को लिया जाता है। ये कक्षाएं साल भर चलती हैं और कक्षाओं का आयोजन यह ध्यान में रखकर किया जाता है कि छात्र अपनी रोजमर्रा की शैक्षणिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें और वे माध्यमिक विद्यालय के साथ आसानी से सामंजस्य स्थापित कर सकें। यह कार्यक्रम अभी नया है फिर भी प्रायोगिक आधार पर ठोस परिणामों के कारण हम उत्साहित हैं और कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट (सीएफटी) इस परियोजना के माध्यम से इसके अगले चरण का विस्तार करने का इच्छुक है।

शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी) का उद्देश्य यह है कि प्रवासी परिवारों के बच्चे स्कूली शिक्षा को नियमित रुप से जारी रखें, यह सुनिश्चित करना कि इन बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मज़बूत बुनियादी शिक्षण कौशल विकसित किया जाए, यह सुनिश्चित करना कि वे माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लें और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें। जब बच्चों के माता-पिता पलायन कर जाते हैं, तब वे बच्चे उनके गांव के सहाय मौसमी हॉस्टल में रहते हैं और स्थानीय स्कूल में जाते हैं। एलएएमपी प्राथमिक स्कूल के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और गणित से संबंधित कमियों को दूर करने में बच्चों की सक्रिय रूप से मदद करता है और इस तरह से बच्चों को कक्षा आधारित पाठ्यक्रम के साथ सामंजस्य करने में सक्षम बनाता है। एआईएफ 2009 से बच्चों को कक्षा 6 से 8, 9 और 10 में स्कूल की कक्षाओं (ट्यूटोरियल) के अलावा अतिरिक्त कक्षा का सहयोग प्रदान करता है। एलएएमपी यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांव में सार्वभौमिक शिक्षा मिले, वह गांवों और समुदायों को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है, स्कूलें बेहतर कार्य करें इसके लिए शिक्षकों और स्थानीय प्रशासन के साथ समुदाय को जोड़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस प्रकार एलएएमपी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी कार्यान्वयन को तेज़ करता है।

उल्लेखनीय है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा में सुधार करने के लिए यह प्रायोगिक काम-काज पूरे जिले और राज्य में लागू करने कीे एक अनुकरणीय परियोजना है। कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट (सीएफटी) द्वारा कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद जब अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (एआईएफ) और टाटा केमिकल्स (टीएसआरडीए) ने उनके कामकाज का विस्तार किया हैं, इसी से इसके महत्त्व को समझा जा सकता है। इस काम-काज में गुजरात के कच्छ, पाटन, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी और बनासकांठा सहित अन्य जिलों को शामिल करते हुए पांच नए साथी गैर सरकारी संगठनों को जोड़ा गया है। वर्तमान में, एलएएमपी परियोजना का नौ तहसीलों में, अधिक पलायन वाले 439 गांवों को शामिल करते हुए लगभग 50,000 बच्चों तक पहुंच कर विस्तार किया है। इस प्रकार, नागरिक समाज संगठन द्वारा सराहनीय विस्तार और बच्चों को शामिल किया गया है व काम-काज में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल किए गये बच्चों का विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

यह दृष्टिकोण प्रदर्शन और संवाद के माध्यम से पैरवी, भागीदारी और आयोजन के समुदाय के बुनियादी सिद्धांतों और सामूहिक कामकाज पर आधारित है। यह पहल पलायन करने वाले परिवारों और बच्चों के जीवन में बदलाव लाने में सफल रही है।

• गुजरात के अपने अपने गांवों में शिक्षण और प्रवासन कार्यक्रम (एलएएमपी) से जुड़ने वाले 21,000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवास करने और स्कूल छोड़ने की समस्या से छुटकारा मिल गया। ये छात्र मौसमी हॉस्टल में रहकर अपनी स्कूली शिक्षा जारी रख सकते हैं।

• शिक्षा के महत्व की चर्चा में मूलभूत परिवर्तन हुआ है, उदासीनता के बजाय सामूहिक सोच और काम-काज की ओर झुकाव बढ़ा है।

• स्कूल के साथ व्यवस्थित और समावेशी तरीके से जुड़ने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत गठित 1,050 से अधिक स्कूल प्रबंधन समितियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल विकास योजना (एसडीपी) तैयार की गई और स्थानीय सरकार और राजनीतिक नेताओं के साथ सार्वजनिक सुनवाई में मदद की गई।

• कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को सम्मानित करने के लिए बड़े पैमाने पर समुदाय की बैठकें आयोजित की गई और माध्यमिक स्कूल की शिक्षा के लिए एक मजबूत संदेश प्रसारित किया गया।

• लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनाना, जैसे माध्यमिक विद्यालय पूरी करने वाली समुदाय की पहली लड़की सुनीता कोली। सुनीता ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की, उससे प्रेरित होकर उस गांव की 15 लड़कियों ने 10वीं कक्षा पास की।

• इस कार्यक्रम के प्रोत्साहन के साथ और कभी-कभी छोटी सी मदद से अपनी शिक्षा का स्तर बेहतर करने वाले स्थानीय एलएएमपी शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा बताए अनुसार निरंतर शिक्षा की संस्कृति में योगदान।

इस परियोजना के परिणाम एक वर्ष के बाद दिखने लगे हैं। परियोजना के परिणाम स्वरूप, समुदाय और क्षेत्र में शिक्षा तथा शिक्षा से संबंधित निगरानी का माहौल बना है। इसके अलावा, समुदाय खुद शिक्षा का प्रबंधन करने में सक्षम बना है। समुदायों को मिल रहे मुख्य फायदे इस प्रकार हैं:

• कम से कम कक्षा 10 तक की शिक्षा प्राप्त करने लिए स्कूल में प्रवेश लेने और परीक्षा पास करने के लिए बच्चों की प्रेरणा के स्तर में बढ़ावा

• लड़कियों में शैक्षणिकऔर व्यक्तिगत लक्ष्यों व महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास का विकास

• समुदाय में, विशेष रुप से लड़कियों और प्रवासियों के बच्चों की शिक्षा के प्रति नजरिए में सकारात्मक बदलाव

• उच्च प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

• माध्यमिक विद्यालयों तक आसान पहुँच

**लड़कियों का सशक्तिकरण और लड़कियों का शिक्षण**

लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के उन्मूलन के लिए लड़कियों को विभिन्न इंटरैक्टिव गतिविधियां प्रदान करके, उन्हें नई संभावनाओं के बारे में जानकारी देकर, वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता का प्रसार करके, वैश्विक आदर्श व्यक्तियों (रोल मॉडल) के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाकर और सामुदायिक सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर उपलब्ध करवाकर कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट (सीएफटी) ने लड़कियों को अपने समूह बनाने के लिए सहयोग किया है। लड़कियों के ये समूह कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट (सीएफटी) के सहायक के साथ नियमित रूप से एकत्र होते हैं । ये समूह परियोजना में तैयार किए गए लड़कियों को सशक्त करने के पाठ्यक्रम के आधार पर मार्गदर्शन के साथ-साथ विचार विमर्श में भी शामिल होते हैं। समूह की गतिविधियां सराहनीय है, उदाहरण के लिए फिल्म दिखाना, पुस्तक क्लब, वर्तमान स्थितियों के प्रति जागरूकता (समाचार पढ़ना और उसके बारे में जानकारी देना), सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देने (बोलने) की क्षमता बढ़ाने हेतु कार्यशालाएं, खेलकूद और कलात्मक गतिविधियों में नाटक व संगीत शामिल है। समुदाय में समूहों द्वारा सामूहिक प्रस्तुतियां भी दी जाती है।

शिक्षण व समुदाय को जोड़ना और माध्यमिक स्कूल में नामांकन में सहायता के लिए बुनियादी कायोर्ं की सुविधा और कार्य का समन्वय। इस परियोजना की एक महत्त्वपूर्ण पहल है। पीढ़ियों से चले आ रहे कर्ज के कुचक्र से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार स्व सहायता समूह (एसएचजी) आंदोलन शुरू किया गया था, उसी तरह इस अभिनव पहल के माध्यम से प्रवासी वंचित समुदायों में शिक्षितों की पहली पीढ़ी को तैयार करके, निरक्षरता का कुचक्र दूर किया गया है। इन बच्चों को मामूली नकद राशि की मदद का मोह छोड़ने का समय आ गया है। बच्चों को नकद राशि (धन) के मदद की नहीं, उनके शिक्षा के अधिकार की जरूरत है।

एलएएमपी लाभ प्राप्त करने वाली एक लड़की 18 वर्षीय सुनीता कोली कहती है कि नमक की क्यारियों में मज़दूरी करने वाले आठ बच्चों के परिवार की मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। एलएएमपी के कारण ही मैं पढ़ पाई हूं। इस समय मैं बी.कॉम. के दूसरे वर्ष में अध्ययन कर रही हूँ, मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। यदि यह कार्यक्रम नहीं होता तो लगभग तीन साल पहले मेरी शादी हो गई होती, बच्चे होते और मैं अपने पति के साथ नमक की क्यारियों में मज़दूरी कर रही होती। सौभाग्य से मैं अविवाहित हूं और कॉलेज में पढ़ती हूं। मेरे समुदाय की लड़कियों को शायद ही ऐसा अवसर मिल पाता है।

**तालिका-1: कार्यक्रम में शामिल किए गये बच्चों का विवरण (संक्षिप्त में)**

**2005 से लेकर मार्च 2015 तक कुल बच्चे लड़के लड़कियां**

**सीएफटी द्वारा कवर बालक**

छात्रावास के आंकड़े 5890 4177 1713

क्षेत्रीय स्कूल 2865 1657 1208

एलईपी कक्षा कक्षा 3, 4, 5 4733 2773 1960

सहायक कक्षा 7, 8 1974 1179 795

सहायक कक्षा 9, 10 512 326 186

एलईपी कक्षा 7,8 1277 753 524

एलईपी कक्षा 9,10 374 257 117

**कुल 17625 11122 6503**

क्या आर.टी.आई. के आवेदन में पहचान का सबूत आवश्यक है?

सूचना तक पहुंच कार्यक्रम, कॉमनवैल्थ मानव अधिकार पहल (सीएचआरआई) के कार्यक्रम समन्वयक श्री वेंकटेश नायक के इस लेख में आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन, अपील और शिकायत, करने हेतु पहचान के सबूत की आवश्यकता के बारे में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2012 में दिए गए निर्णय में रही त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है। उनका तर्क है कि यह निर्णय पंजाब के अलावा अन्य किसी भी सूचना आयोग पर बाध्यकारी नहीं है। आम पाठक आसानी से समझ सकें, इसलिए लेख की अभिव्यक्ति और तर्क को हानि पहुंचाए बिना लेख को यहाँ संक्षिप्त रुप में प्रस्तुत किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई एक्ट) के तहत स्थापित सूचना आयोग के कई कार्यालय असंतुष्ट नागरिकों द्वारा दायर अपील तथा शिकायतों को स्वीकार किए बिना इस आधार पर वापस लौटा रहे हैं कि अपीलार्थी या शिकायतकर्मी के पहचान के सबूत के अभाव में अपील तथा शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जाहिर तौर पर यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2012 के फैसले के मद्देनजर की जा रही है। इस लेख का उद्देश्य इस फैसले में रही त्रुटियों की ओर सादर ध्यान आकर्षित करना और यह तर्क प्रस्तुत करना है कि पंजाब को छोड़कर यह निर्णय किसी भी सूचना आयोग के लिए बाध्यकारी नहीं है।

आरटीआई के तहत आवेदन हेतु पहचान के सबूत की आवश्यकता?

संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम या केंद्र सरकार या ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा जारी आरटीआई नियमों में कहीं भी यह आवश्यक नहीं किया गया है कि आवेदक को आरटीआई आवेदन के साथ पहचान या पते का सबूत प्रस्तुत करना होगा। ओडिशा में नागरिक समाज और आंदोलनकर्मियों द्वारा निरंतर उग्र विरोध के बावजूद राज्य ने आरटीआई आवेदन दायर करते समय व्यक्ति द्वारा पहचान का सबूत प्रस्तुत करने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। आरटीआई नियमों में किसी भी समर्थक प्रावधान के बिना शामिल किए गए इस प्रावधान को आवेदन पत्र से हटाने के लिए सीएचआरआई द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश भी भेजी गयी थी। इसी तरह, कुछ उच्च न्यायालयों ने ऐसे आरटीआई नियमों को अधिसूचित किया है, जिनमें आवेदक को अपनी पहचान साबित करनी होगी।

जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आरटीआई आवेदक द्वारा पहचान का सबूत प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया है, वहीं केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने यह निर्णय दिया था कि यदि लोक सूचना अधिकारी के पास आरटीआई आवेदक की पहचान के बारे में संदेह करने के पर्याप्त सबूत नहीं हो तो वे इस प्रकार के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ज़ोर नहीं देंगे। (सीआईसी के बाद के निर्णय इस निर्णय के विपरीत हो सकते हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पाठकों को इस प्रकार के विपरीत निर्णयों के बारे में जानकारी हो तो वे मुझे इसके बारे में बता सकते हैं।)

बीपीएल आरटीआई आवेदक द्वारा पहचान के सबूत का स्वप्रमाणीकरण सम्भव

हालांकि, इस नियम के तहत आरटीआई आवेदक के पहचान का सबूत न मांगने का केवल अपवाद यह है कि जो आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के वर्ग में है, वह इस आधार पर फीस माफी मांगे तो उसे केवल इस परिस्थिति में अपनी पहचान का सबूत प्रस्तुत करना जरूरी है। इस मामले में बीपीएल आवेदक द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को प्राप्त करना जरूरी नहीं है। कई सरकारी अभीकरण, कार्यालय और सूचना आयोग भी इस प्रकार के स्वयं द्वारा सत्यापन में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर, 2015 को सीआईसी के वार्षिक आरटीआई सम्मेलन का उद्घाटन करते समय यह स्पष्ट किया था कि सरकार ने नागरिकों पर भरोसा करके सभी दस्तावेज की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां (सेल्फ अटेस्टेड) स्वीकार करने का निर्णय लिया है और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्णय के अंतिम दौर में ही किया जाएगा।

इससे पहले, 2013 में संप्रग सरकार के शासन काल में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग ने स्वयं सत्यापन के नियम वाली अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना (ऑफिस मेंमोरेन्डम) को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ ही जम्मू कश्मीर व सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी गयी थी। चूंकि सूचना आयोग प्रशासनिक अभिकरण है, अत: उसी वर्ष नमित शर्मा के केस में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार डीएआरपीजी की यह कार्यालय ज्ञापन उन पर भी लागू होगा।

सरकार में आरटीआई आवेदन के चरण पर पहचान सबूत पेश नहीं करने के सामान्य नियम का एक मात्र अपवाद राजस्थान में लागू होता है। जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाम राजस्थान सूचना आयोग तथा अन्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा आरटीआई आवेदन के साथ पहचान का सबूत पेश करने की व्यवस्था बनायी जाए। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि आरटीआई आवेदक ने गलत पता दिया था और इसलिए उससे संपर्क नहीं किया जा सका था। वेबसाइट में अद्यतन जानकारी के अनुसार यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। मेरा यह पक्का मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए इस नियम के लिए आरटीआई आवेदक ही जिम्मेदार है। आरटीआई दुरुपयोग की केवल एक घटना अन्य सभी लोगों के लिए मौजूद सुविधा जनक व्यवस्था को नष्ट कर देती है। इसलिए, आरटीआई का उपयोग किसी व्यक्ति को परेशानी में डालने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।

**हरियाणा में आरटीआई आवेदक की पहचान साबित करना**

हाल ही में, एक आरटीआई कार्यकर्मी द्वारा एक ईमेल जारी किया गया था, जो सीआईसी के कार्यालय द्वारा दूसरी अपील की जांच सूची का उपयोग दर्शाता है, जिसमें आवेदक की पहचान के बारे में सबूत के लिए (टिक) निशान करना होता है। यदि सीआईसी द्वारा जांच सूची का प्रयोग किया जाता हो, तो आवेदकों की पहचान के सबूत की आवश्यकता से संबंधित इस कॉलम के मूल में जाना जरुरी है। जांच सूची के इस नमूने के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नवम्बर, 2012 में जारी की गई अधिसूचना के बाद यह मुद्दा उसमें शामिल किया गया है। सूची के नमूने में से कोई भी बात यह नहीं दिखाती कि पहचान का सबूत जरूरी है। सीआईसी के अपील तथा शिकायत पेज के स्टेटस के अनुसार, वर्तमान में मेरे पास सात अपील लंबित (बाकी) हैं। अतीत में मैंने मेरी अन्य अपीलों के साथ पहचान के सबूत कभी नहीं लगाए और सीआईसी ने भी इस कारण से मेरी अपील के कागजातों को वापस नहीं किया। हालांकि, 2012 के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश का गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

फल और व्यापारी संगठन बनाम मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य के मामले में, नागरिक द्वारा दायर सिविल आरटीआई आवेदन में याचिकाकर्मी ने तीसरे पक्ष के रुप में यह शिकायत दायर की गई कि पंजाब सूचना आयोग ने उनका (यूनियन) पक्ष पहले सुने बिना ही यूनियन के प्रशासन से संबंधित विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया था। इस मामले के मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

(1) आरटीआई आवेदक ने राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) से पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड (पीएसएएमबी) के बारे में निम्न विषयों से संबंधित जानकारी मांगी थी जिसके अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान 1अप्रेल 2010 से लेकर आज तक वल्लाह वेजिटेबल मार्केट में कितने लाइसेंस की जांच की गई, उनमें फर्म या कंपनी का नाम, आर.डी.एफ. के रुप में बकाया राशि या फीस की वसूली, एक दंड के रुप में वसूली गई राशि, ऋण की राशि की गणना जिस रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है, उसका विवरण आदि की जानकारी उपलब्ध करवाना था।

(2) याचिकाकर्ता को किसी भी तरह आरटीआई आवेदन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उसे पीआईओ द्वारा आरटीआई आवेदन के बारे में कोई फैसला सुनाने से पहले अपना पक्ष रखने के अधिकार के बारे में पीएसएएमबी के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के समक्ष याचिका दायर की। एफएए ने याचिका को स्वीकार किया और उन्होंने एसपीआईओ को आरटीआई आवेदन पर फैसला लेने से पहले याचिकाकर्तार् का पक्ष सुनने की ताकीद की।

(3) एसपीआईओ द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया था, इसी दौरान आरटीआई आवेदक ने आरटीआई आवेदन की कार्यवाही में हुई अत्यधिक देरी के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 18 के तहत पंजाब सूचना आयोग में शिकायत दर्ज की। पंजाब सूचना आयोग ने फैसला दिया कि मांगी गई सूचना में तीसरे पक्ष का कोई हित शामिल नहीं होने के कारण जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है।

(4) याचिकाकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके पंजाब सूचना आयोग के निर्णय को चुनौती दी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिकायत का निपटारा करने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं करने के पंजाब आईसी के कदम को गलत बताकर पंजाब आईसी के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक प्रथम अपील की कार्यवाही एफएए के समक्ष लंबित हो, तब तक मामले में निर्णय नहीं लेना चाहिए।

(5) इसके बाद अदालत ने पैरा 23 के अनुसार निम्नलिखित निर्देश दिए:

इसके अलावा, सार्वजनिक सूचना के अधिकार के सामने आने वाली सभी शिकायतों, प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के सामने की जाने वाली सभी अपीलों या आयोग के सामने की सभी कार्यवाही के दौरान आवेदक को आवेदन के साथ अपनी पहचान का सबूत पेश करना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि, अदालत के ध्यान में आया कि कुछ मामलों में आवेदकों की पहचान निर्धारित नहीं की जा सकी थी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल योग्य व्यक्ति ही आवेदन दायर कर सकेंगे।

(6) अदालत ने रजिस्ट्रार कार्यालय (रजिस्ट्री) को आदेश की प्रतिलिपि पंजाब सरकार के अलावा प्रतिवादी, मुख्य सूचना आयुक्त और हरियाणा के सूचना आयोग को भेजने के निर्देश दिए थे। मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष दायर दूसरी अपील की जांच सूची में पहचान के सबूत के स्थान (कॉलम) की प्रेरणा इस फैसले से ली गई लगती है।

उच्च न्यायालय के आदेश में सीआईसी को उसकी पालना करने में समस्या क्या है?

माननीय उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान होने के बावजूद इस आदेश के अनुपालन के संदर्भ में अदालत के निष्कषोर्ं और अधिसूचनाओं को न्यायपूर्ण रुप से स्वीकार करना मुश्किल है। अदालत के प्रति पूरी विनम्रता के साथ मेरा निवेदन इस प्रकार है:

1. आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी का उपयुक्त महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि उस सूचना को पीएसएएमबी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वत: सार्वजनिक करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के उपखंड (ध्त्त्त्) और (न्त्त्त्) के तहत सक्रिय रुप से जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ग) और (घ) के तहत सक्रिय रूप से जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है।

2. इस फैसले के अंत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दो आदेश आश्चर्यजनक हैं। ऐसे आदेश जारी किए हैं कि आरटीआई के सभी आवेदनों, अपीलों और शिकायतों के साथ सभी स्तरों पर आवेदक को पहचान का सबूत प्रस्तुत करना होगा। अब, मामले के तथ्यों में कोई भी बात यह नहीं दर्शाती है कि पूरे मामले में पहचान का सबूत मुख्य मुद्दा था। इसके बजाय आरटीआई आवेदन पर कार्यवाही के लिए विशिष्ट किसी भी जानकारी का उल्लेख किए बिना अदालत ने अपने अनुभव का आधार लिया है। मैं विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ कि न्याय विषयक अनुशासन के लिए सभी संवैधानिक अदालतों को ही अन्य बातों के बारे में विचार विमर्श करने के बजाय उनके सामने जिस बारे में तर्क प्रस्तुत किये गये हों, उन मुद्दों के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले में उच्च न्यायालय के सामने जिसके बारे में तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया, उस मुद्दे पर आदेश जारी कर दिया गया, ऐसा लगता है।

3. इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा फैसले की प्रतियों को मुख्य सूचना आयुक्त को भेजे जाने का आदेश भी अधिक हैरान कर देने वाला है। ये सूचना आयुक्त तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जिसका फैसला सुनाया उस केस के पक्षकार भी नहीं थे। न्याय से संबंधित प्रक्रिया का यह मुख्य सिद्धांत है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका जैसी आपात स्थिति में न्याय के हित में जारी किए गए आदेशों के अपवाद के सिवाय, जब तक पक्षकारों की बात नहीं सुनी जाए, तब तक उस पक्ष को वांछित रूप से व्यवहार करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जिन पाठकों के (ओडिशा को छोड़कर अन्यत्र दायर) आरटीआई आवेदनों या अपीलों या शिकायतों को पहचान के सबूत के अभाव में लौटाया गया हो, उन पाठकों से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों की जानकारी मुझे भेज दें। आवेदनों पर इस तरह की नौकरशाही प्रक्रियाओं का आरटीआई समर्थकों को विरोध करना चाहिए और विवादों के सरल समाधान की प्रक्रिया की वकालत करनी चाहिए।

गुजरात सूचना पहल की सुश्री पंक्ति जोग लिखती हैं: गुजरात के नियमों के अनुसार नागरिकों को नागरिकता का सबूत देना आवश्यक नहीं हैं। इसके बावजूद, 2010 के फैसले के अनुसार, जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को यह बयान देना आवश्यक है कि वह भारत नागरिक है। लाखों नागरिकों, विशेष रुप से एनटीडीएनटी समुदाय के लोगों के पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या उनकी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है। पोरबंदर के एक मामले में पीआईओ को नागरिकता के बारे में शक होने पर उन्होंने पहचान का सबूत मांगा था। लेकिन ऐसे मामले बिरले ही होते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: वेंकटेश नायक, कार्यक्रम समन्वयक, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, नई दिल्ली ईमेल nayak.vankesh@gmail.com वेबसाइट http://sartain.org

सूचना स्वाभिमान यात्रा

**सार्वजनिक कार्यक्रमों और अधिकारों से संबंधित जानकारी तक गौरवशाली पहुँच के लिए अभियान, बाड़मेर, राजस्थान, 16 मार्च - 3 अप्रैल, 2015**

यह लेख 'उन्नति' के राजस्थान कार्यक्रम कार्यालय की सी.ओ.ओ. स्वप्नी शाह द्वारा लिखा गया है। स्वप्नी शाह आईपीपीई ग्रामीण विकास मंत्रालय की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षक हैं। वे राजस्थान राज्य में प्रभावी नियोजन प्रक्रिया के लिए सहयोग कर रही हैं। 'उन्नति', राजस्थान के जोधपुर जिले की पंचायत समिति बालेसर में सीएफटी परियोजना संचालित कर रही है।

मध्याह्न भोजन, नि:शुल्क पुस्तकें और वर्दी प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना आदि सहित प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं से संबंधित, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन से और अन्य समस्याओं के विषय में कार्यक्रम और योजनाएं गरीब परिवारों का अस्तित्व बनाए रखने की योजना को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यदि गरीब परिवारों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से और जरूरत के समय मिलेे, तो वे इन कार्यक्रमों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित व गौरवशाली जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हालांकि, कई बार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पास सही जानकारी नहीं होने और आवेदन प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली होने से वे सार्वजनिक कार्यक्रमों का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए जरुरतमंद परिवारो को या तो शोषण करने वाले बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है या महंगी बाजार व्यवस्था का सहारा लेने पड़ता है।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सूचना शायद सबसे शक्तिशाली हथियार है। यदि व्यक्ति को पूरी तरह से जानकारी हो, तो वह अपने अधिकारों के लिए बात कर सकता है और मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकता है। सूचना स्वाभिमान यात्रा (अधिकारों और पहुंच के गौरव के साथ सूचना प्राप्त करने का अभियान) की शुरूआत सार्वजनिक योजनाओं के बारे में जानकारी की उपलब्धता से संबंधित यूरोपीय संघ की सहायता वाली परियोजना के तहत 'उन्नति' द्वारा की गयी थी। 16 मार्च से 3 अप्रैल 2015 के दौरान आयोजित इस यात्रा में राजस्थान के कल्याणपुर, पाटोदी और सिणधरी पंचायत समितियों की 30 ग्राम पंचायतों की 72 ढाणियों को शामिल किया गया था। सूचना स्वाभिमान यात्रा का उदेश्य लोकप्रिय दृश्य, श्रव्य और दृश्य-श्रव्य प्रारूप का प्रयोग करके विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। यह यात्रा उपेक्षित लोगों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं एवं समाधान के बारे में स्वतंत्र रूप से बिना किसी डर के जानने में सहायक बनी थी। इस यात्रा ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और नागरिकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा काम काज में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था। 6421 लोग (महिलाएं - 2557, पुरुष - 3221, विकलांग व्यक्ति - 30) इस यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा, 188 पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी इस यात्रा में शामिल हुए। 90 नागरिक नेताओं ने अभियान के विभिन्न चरणों में सक्रिय सहयोग किया था ।

**यात्रा की तैयारी**

**चरण 1 - आयोजन**

यात्रा के समय, समय-सीमा, रूपरेखा और कार्य प्रणाली का निर्णय नागरिक नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके लिया गया था। मार्च में अनुकूल मौसम होने के कारण दिन भर की गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा के लिए यह आदर्श समय था। समय की उपलब्धता और टीम की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यात्रा को दो भागों में विभाजित किया गया था। यात्रा लगातार पांच दिनों तक गांव-गांव जाने वाली थी और विभिन्न मुद्दों की शुरूआत और एकीकरण के काम के लिए शनिवार व रविवार को यात्रा नहीं रखी गयी. रात में रुकने की योजना पहले से बना ली गई थी। इस तरह की व्यवस्था कर सकने वाले गांव तय कर लिये गये थे। प्रत्येक समूह द्वारा रोज एक ग्राम पंचायत और तीन गांवों/ढाणियों को शामिल किया गया था। यात्रा को पंचायत समिति मुख्यालय से शुरू करने की योजना बनाई गई थी। अभियान की रूपरेखा तैयार की गई थी। प्रत्येक गांव में ढाणी संपर्क और उसके बाद पूर्व निर्धारित स्थल पर एक बड़ी सामुदायिक बैठक और उसके बाद 'सूचना कुटीर (बूथ)' में प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत की गई। इस यात्रा के दौरान, स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर दिन की रूपरेखा तैयार की गयी थी।

**समय गतिविधि**

सवेरे 8-10 बजे तक लोगों को आम बैठक के बारे में जानकारी देने और उनके सवालों को समझने के लिए गांव 1 में ढाणी संपर्क और ग्रामीण स्तर की बैठक

सवेरे 10-11 बजे तक तय स्थल में आम बैठक -   
जानकारी दी गई और लोगों के सवालों के जवाब दिए गए

सवेरे 11-12 बजे तक सूचना कुटीर - प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत और आगे की कार्रवाई के लिए सवालों और समस्याओं को नोट करना

दोपहर 12-2 बजे तक गांव 2 में ढाणी संपर्क (भोजन)

दोपहर 2-3 बजे तक गांव 2 में आम बैठक

दोपहर 3-4 बजे तक सूचना कुटीर में बातचीत और गतिविधियां

शाम 4-6 बजे तक गांव 3 में ढाणी संपर्क

शाम 7 बजे तक गांव 3 में आम बैठक

सायं 7-8 बजे तक सूचना कुटीर में बातचीत और गतिविधियां

जैसा कि पहले बताया गया है, यात्रा के लिए दो अलग-अलग मार्गों की योजना बनाई गई थी। जिम्मेदारी देने से पहले सभी गतिविधियों को मुद्दे के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। आवश्यकताओं की एक सूची तैयार की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि क्या खरीदा जा सकता है और क्या किराए पर लिया जा सकता है। भागीदारी के बारे में ध्यान रखने और लोगों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस पर बातचीत की गई थी, यह सूचना हमारे अगले कामकाज के लिए उपयोगी होगी। इसके साथ ही प्राथमिक गतिविधियों को शुरू किया गया था।

**चरण 2 - पूर्व सूचना और साधन-सामग्री की व्यवस्था**

जानकारी के लिए पैम्फलेट हिंदी में छपावकर सभी गांवों में वितरित किया गया था। इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में पंचायत समिति, तहसील और जिला स्तर के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को भी सूचित किया गया था और उन्हें भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। बालोतरा के विकास अधिकारी के सुझाव के बाद इस अभियान को पंचायत समिति के स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ा गया था। नागरिक नेताओं के साथ पंचायत समिति स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थी। उनसे उम्मीद थी कि यह उनके संबंधित गांवों में अग्रिम जानकारी के प्रचार-प्रसार और समुदायों का जिम्मा सौंपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अग्रिम जानकारी के लिए और बैठक की जगह बिजली की उपलब्धता, भोजन और रात में रहने की व्यवस्था आदि निर्धारित करने के लिए ग्राम स्तर की बैठकें आयोजित की गई थी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, ग्राम स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित किया गया था। बैठकों के स्थान ऐसे होने की जरूरत थी जहां गरीब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय आसानी से पहुंच सकें। जहां तक हो सके ग्राम पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र या महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थल जैसे सामान्य स्थान तय किए गये थे। अग्रिम जानकारी प्रदान करने के लिए पूरा यात्रा के दौरान सभी लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गई थी। इसमें खास बात यह रही कि विशेष रूप से महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी।

**चरण 3 - प्रचार-प्रसार सामग्री**

यात्रा के विषय से संबंधित बैनर का डिजाइन किया था। तख्तियों पर लगाने के लिए नारे भी तैयार किए गए थे। हमारे अतीत के अनुभव के आधार पर जानकारी प्राप्त करने की लोगों की जरूरतों की सूची तैयार की गई थी विकसित की जा सकने वाली सामग्री की एक सूची तैयार की गई थी। इसके आधार पर उचित मसौदा तैयार किया गया था। प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करने के लिए टीम को छोटे समूहों में विभाजित किया गया था। सामग्री तैयार करने और उसके संपादन के बाद निम्नलिखित सामग्री विकसित की गई थी:

(1) सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा (2) सूचना के अधिकार के आवेदन, सुनवाई के अधिकार और योजनाओं की जानकारी के साथ सूचना कुटीर (3) महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम की जानकारी (4) विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर की सूची (5) सूचना संदर्भ केंद्र के बारे में सूचना (6) 'सूचना की ताकत' और 'सामुदायिक काम-काज' के बारे में 15 मिनट के ऑडियो-विजुअल फिल्म - इस फिल्म में कुछ ऐसे मामले दिखाये गये हैं, जिनमें लोगों ने अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए सूचना का उपयोग किया था। (7) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रक्रिया और अधिकारों के बारे में ऑडियो सामग्री।

संबंधित सरकारी आदेशों और योजनाओं के लिए आवेदन-प्रपत्र एकत्र किए गए थे। सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध पेंशन धारकों, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों और महात्मा गांधी नरेगा कार्यकर्मियों की सूची और भुगतान की जानकारी डाउनलोड की गई थी। कई गांवों में ये सूचनाएं चार्ट पेपर पर बड़े अक्षरो में लिखकर प्रदर्शित की गई थी या समय मिलने पर इन्हें पढ़कर सुनाया गया था।

यात्रा के दौरान

विकास अधिकारी, सिणधरी और विकास अधिकारी, बालोतरा ने क्रमश: 16 और 17 मार्च 2015 को पंचायत समितियों से अभियान की शुरूआत करवाई थी। पंचायत समिति स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, नागरिक नेताओं और समुदाय के अन्य सदस्यों ने इस अवसर पर भागीदारी की थी। पंचायत समिति से सभी ने यात्रा की शुरूआत करते हुए पहले गांव की ओर प्रस्थान किया था।

विभिन्न ढाणियों में घूमते हुए वाहन पर लगे लाउड-स्पीकर द्वारा लोगों को बैठक के बारे में सूचित किया गया था। इसके अलावा, समस्याओं के बारे में जानकारी लेनेे के लिए ढाणी में घर-घर संपर्क किया गया था। संपर्क के दौरान लोग जिन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने पात्र हैं, लेकिन अगर लाभ नहीं मिल रहा हो तो उन योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। अधिक जानकारी के लिए उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए और अपने मामले से संबंधित दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया था। विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने की जरूरत का मूल्यांकन करने के लिए ढाणी संपर्क मददगार रहा। इससे सामान्य सामुदायिक बैठकों में लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सका।

बैठक की जगह पर लगाई गई सूचना कुटीर लोगों में आकर्षण का केन्द्र बन गयी। लोगों ने वहां अपने नाम लिखवाये थे, लोगों को एक सूचना पुस्तिका दी जाती थी और उनके सवालों का जवाब दिया गया था। लोगों के मामले पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए कई लोगों के सहायक दस्तावेज लेने के लिए यात्राकर्मी उनके घर गए थे। ज्यादातर पेंशन योजना, पालनहार योजना और हितकारी योजना के लिए आवेदन पत्र भरे गये थे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाया गया था।

सामान्य बैठकों में लोगों को कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी और ढाणी संपर्क के दौरान सामने आए सवालों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुछ गांवों मेंे योजना के बारे में लोगों को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई थी और बाद में भाग लेने वालों ने प्रश्नावली के जवाब दिये थे। इससे लोगों को ब्यौरा याद रखने और उसके आधार पर प्रश्न पूछने में मदद मिली थी। शिकायतों को दर्ज करवाने और उन्हें सुलझाने की व्यवस्था के बारे में उदाहरणों के साथ लोगों को विस्तार से समझाया गया था। सेवा प्रदाताओं और स्थानीय स्तर के सरकारी अधिकारयिों ने जब भी बैठक में भाग लिया, तब उन्हें सेवाओं और अधिकारों के बारे में तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया था। बैठक में प्रतिभागियों को उस गांव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया गया था। कुछ गांवों में पेंशन के लाभार्थियों की सूची को पढ़कर सुनाया गया था। इस सूची को बाद में ग्राम पंचायत कार्यालय में लगाया गया था। यदि जरूरत हो तो पेंशन लाभार्थियों के जीवित होने के सत्यापन (वार्षिक भौतिक सत्यापन) के प्रारूप भी वितरित किए गए थे।

लोगों ने उत्साह और जोश से यात्रा में भाग लिया था। महिलाओं ने यात्रा में भाग लेने के साथ ही अपनी समस्याओं और सवालों को भी बताया था। बच्चे और किशोरियां भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। गांव से रवाना होने से पहले इस प्रकार के सवालों को पूछकर प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ली गई थी:

(1) अभियान के बारे में पता चलने पर आपके मन में क्या विचार आया था?

(2) यात्रा से आपकी क्या उम्मीदें थी, क्या वे पूरी हुई?

(3) चर्चा की गई किसी भी एक योजना के बारे में बताएं

(4) आप योजनाओं को कैसे याद रखेंगे?

(5) इन योजनाओं के बारे में आप दूसरों को कैसे बताएंगे?

(6) आपके लिए कौनसी योजना सबसे महत्वपूर्ण है?

(7) क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं?

मुद्दों के प्रकार

व्यक्तिगत लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में लोगों को अधिक जानकारी थी। हालांकि, योग्यता, प्रक्रिया, सहायक दस्तावेज आदि से संबंधित आवश्यक जानकारी का अभाव देखने को मिला था। नतीजतन, स्थानीय स्तर के कर्मचारियों द्वारा दी गई निराशाजनक और अविश्वसनीय प्रतिक्रियाओं के सामने वे दृढ़ता से अपनी बात नहीं रख पाते थे। नतीजतन, वे बिचौलियों की मदद लेते हैं, जिससे उनका अधिक समय और पैसा खर्च होता है या वे अन्य कर्मचारियों से काम करवाने की कोशिश करते हैं, जो व्यर्थ प्रतीत होता है। लोगों को पन्नाधाय योजना, पालनहार योजना, बीपीएल पुत्री विवाह योजना, लाभार्थी योजना, कलेवा योजना और आस्था योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

एक अन्य आम अवलोकन यह था कि महिलाओं की पहुंच में बाधा के कारण उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक अशिक्षित विधवा तेजोन देवी को अपने खुद के लिए विधवा पेंशन फार्म लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग की जरूरत पड़ती है। जब भी सत्यापन की प्रक्रिया और फिर से जांच के लिए पंचायत समिति जाना होता है, तब उसे अपने साथ किसी व्यक्ति को रखना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में, उसे अपनी मदद करने वाले व्यक्ति को कुछ पैसा देना होता है। इसके अलावा, महिलाओं के पास पहचान के उचित सबूत, निवास का सबूत नहीं होने से उनके नाम में बैंक खाता नहीं होने से सहायक दस्तावेज देने में महिलाएं समस्याएं महसूस करती हैं। कई महिला आवेदक पेंशन या बीमा योजना के लिए आवश्यक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो अन्य महिलाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। अभियान के बाद इस प्रकार के मामलों पर आगे की कार्रवाई करने के लिए ऐसे 746 मामलों की पूरी जानकारी लिखी गयी।

**सामाजिक सुरक्षा**

लोगों ने काम की लिखित मांग नहीं की थी और अधिकांश गांवों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत पिछले एक साल में कोई काम नहीं किया गया था। सभी गांवों की महिलाओं ने कहा कि वे काम करना चाहती थी। 14 गांवों के लोगों ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक से तीन वर्ष में कोई काम नहीं किया गया। मजदूरी और सामग्री भुगतान के लंबित मामलों के बारे में जानकारी ली गई थी। गलनाडी गांव में पूरे वर्ष के काम की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था जबकि दांडेवा गांव में ढाई साल से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

लोगों को विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं सुविधाओं और पात्रता के बारे में जानकारी नहीं थी। कई ऐसे विकलांग व्यक्ति थे, जिनके पास किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए बुनियादी आवश्यकता विकलांगता प्रमाण पत्र और पहचान पत्र नहीं था। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाई गई थी जिन्हें, पता ही नहीं था कि विकलांग बच्चों को भी पेंशन मिल सकती है।

सरकार द्वारा भूमीहीन परिवारों को जमीन देने के स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद, इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले पाने वाले कई भूमिहीन लोग, विशेष रूप से कालबेलिया समुदाय (अब लगभग स्थाई जीवन यापन करने वाला पारंपरिक घुमंतू समुदाय) के लोग आगे आए हैं। लोगों ने राशन के वितरण में अनियमितताओं और चीनी नहीं देने के बारे में शिकायत की थी।

2013 में आम जनता के लिए जारी की गई सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना 2011 में दिखाई गई जानकारी के खिलाफ आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। जब सनपा (सिणघरी) गांव में यह जानकारी दी गई और ग्राम सेवक को आपत्ति करने वाले लोगों का नाम पढ़ने के लिए कहा गया, तब प्रतिभागियों को पता लगा कि सभी नाम जाट समुदाय के थे। आपत्ति करने वाले लोगों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं था।

**महिला एवं बाल विकास**

भोजन के पैकेट वितरित करने के लिए गांवों की आंगनवाड़ी केवल गुरुवार को ही खुलती हैं। गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को नियमित रूप से भोजन के पैकेट प्राप्त नहीं होते। लड़कियों के लिए भोजन के पैकेट काफी समय से नहीं आए। गरम भोजन बनाने की जिम्मेदारी जिस स्वयं सहायता समूह को दी गई है, वह गरम भोजन नहीं बनाता। आंगनवाड़ी कार्र्यर्कमियों को भी उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में पता नहीं था। सिंणधरी के 13 गांवों में टीके नहीं लगाये गये थे। अभी भी लोग घर में प्रसूति करवाना चाहते हैं और कोई खास समस्या होने पर ही अस्पताल जाना चाहते हैं। जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) का लाभ पाने में बाधक समस्याओं के बारे में भी चर्चा की गई थी। पांच गांवों के लोगों ने प्रसूति करवाने के लिए एएनएम द्वारा पैसे मांगने की शिकायत की थी। इन गांवों में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति ही नहीं है।

जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्ड बनाया गया था, तब लोग कार्ड मिलने के बाद खुश हो गये थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस कार्ड के उपयोग के बारे में पूछताछ नहीं की और किसी को भी उसके प्रयोग और महत्व के बारे में नहीं बताया गया। कार्ड का उपयोग 'मेरे पास भी यह कार्ड है' यह दिखाने या कहने जितना ही है। एक भी परिवार ने कार्ड से मिलने वाला लाभ प्राप्त नहीं किया।

**शिक्षा**

लगभग सभी गांवों के लोगों और शिक्षकों ने स्कूलों में शिक्षकों की कम संख्या का मुद्दा उठाया था। खारिया खुर्द (सिणधरी) गांव में 280 विद्यार्थीयों के लिए केवल एक ही शिक्षक है, जबकि टाकु बेरी (सिणधरी) गांव में 250 छात्रो के लिए दो शिक्षक हैं। एक या दो शिक्षकों वाली स्कूलों में लिखित काम-काज, मध्याह्न भोजन और छात्रों को पढ़ाने के काम में कठिनाई होती है। पांच गांवों के लोगों ने शिक्षकों की अक्सर अनुपस्थिति के बारे में बताया। टाकुबेरी और इंदिरा कॉलोनी जैसे गांवों में लोगों ने बताया कि शिक्षक शराबी था इसलिए वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। आकाल गांव में, यात्राकर्मियो ने स्कूल छोड़ने वाली 25 लडकियों के बारे में जानकारी ली। कोस्लु और सरनु भीमजी गांव के स्कूल में पिछले तीन महीनों में मध्याह्न भोजन बनाया ही नहीं गया। खरंटिया गांव में मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाता, तो खारीेगकुआ और गीरली किटपाल गांव में मध्याह्न भोजन नियमित नहीं हैं।

लोगों को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों के बारे में पता नहीं था और स्कूल में उनके नाम भी नहीं दर्शाए गए थे। कई स्कूलों में बच्चे अपने घरों से पीने का पानी लेकर जाते हैं और स्कूल के शौचालय बेकार पड़े हैं। कुछ अभिभावकों (माता-पिता) की शिकायत थी कि शिक्षक हिंदी भाषा बोलते हैं, जिससे छोटे बच्चों को शिक्षकों की भाषा समझ में नहीं आती।

**बिजली व्यवस्था**

राजीव गांधी निःशुल्क बिजली योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बिजली का प्रावधान सबसे अधिक चर्चित मुद्दा था। कई बीपीएल परिवारों को अभी तक नि:शुल्क बिजली कनेक्शन नहीं मिला। लोग यह लाभ प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन सभी प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। इस समस्या को जिला स्तरीय बिजली विभाग में प्रस्तुत करना जरूरी है।

अन्य

लोगों ने सड़क संपर्क की वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। एंबुलेंस और पानी के टैंकर घर तक नहीं पहुँच सकते और खेती के मौसम में बच्चों को खेतों में से नहीं जाने देने के कारण वे स्कूल नहीं जा पाते। जिस किसान की जमीन से रास्ता निकलता हो, उसकी अनुमति से महात्मा गांधी नरेगा के तहत बजरी और बारीक कंकर डालकर सड़क बनायी जा सकती है।

ऊपर के सभी मुद्दों का दस्तावेजीकरण किया गया और समुचित सरकारी अधिकारियों के समक्ष इन्हें रखने का दृढ़ संकल्प किया गया था। इस अभियान के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जनता में जागरूकता फैली थी और सभी शेष रहे मुद्दो को हल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था। इस प्रकार के दर्ज मुद्दो की सूची यहां तालिका में दी गयी है।

**तालिका-1: दर्ज किए मुद्दों का वर्गीकरण**

मामलों की संख्या

क्ष् पेंशन **और बीमा 332**

1 पेंशन से वंचित वृद्ध व्यक्ति और विधवा महिला 166

2 पेंशन से वंचित विकलांग व्यक्ति 11

3 वृद्धावस्था पेंशन के लिए लायक, लेकिन आवेदन नहीं करने वाले व्यक्ति 68

4 पेंशन के लिए लायक, लेकिन आवेदन नहीं करने वाली विधवा महिलाएं 6

5 पेंशन के लिए लायक, लेकिन आवेदन नहीं करने वाले विकलांग व्यक्ति

(जिनके पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है) 46

6 पालनहार योजना के लिए लायक, लेकिन आवेदन नहीं करने वाले परिवार 19

7 पन्नाधाय जीवन अमृत योजना से वंचित परिवार 5

8 पेंशन की अनियमित प्राप्ति 11

क्ष्क्ष् असंगठित **क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा 41**

9 काम की मांग 14

10 महात्मा गांधी नरेगा में सामग्री का बाकी भुगतान 7

11 मजदूरी का बाकी भुगतान 5

12 महात्मा गांधी नरेगा के लिए जॉब कार्ड से वंचित परिवार 14

13 हितकारी योजना से वंचित 1

क्ष्क्ष्क्ष् सार्वजनिक **वितरण प्रणाली (राशन की दुकान) 18**

14 राशन सामग्री कम मिलना 1

15 ग्राम पंचायत में सुधार के लिए राशन कार्ड देने के कारण राशन नहीं मिलना 2

16 लाभ पाने के लिए राशन कार्ड से वंचित परिवार 2

17 राशन कार्ड की सूचनाओं में त्रुटियां 9

18 राशन सामग्री का अनियमित वितरण 2

19 चीनी का नहीं मिलना 2

क्ष्ज् आवास 78

20 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की अनुमति नहीं मिलना 72

21 आईएवाई की किस्त नहीं मिलना 5

22 आवंटित मकान का कोई उपयोग नहीं होना 1

ज् शिक्षा 44

23 शिक्षकों से संबंधित मुद्दे 14

24 छात्रवृत्ति से संबंधित मुद्दे 1

25 इमारतों से संबंधित मुद्दे 4

26 अनियमित मध्याह्न भोजन 7

27 स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकों का आयोजित नहीं होना 11

28 उपयोग नहीं किए जाने वाले शौचालय 7

ज्क्ष् महिला **एवं बाल विकास 23**

29 आंगनवाडी केन्द्र नहीं खोलना 12

30 भोजन के पैकेट नहीं मिलना 2

31 उप केंद्र नहीं खुलना 2

32 जननी सुरक्षा योजना और शुभलक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलना 2

33 प्रसूति में सहयोग के लिए एएनएम द्वारा पैसे मांगना 5

ज्क्ष्क्ष् **बिजली 196**

34 बीपीएल द्वारा नि:शुल्क बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करना 127

35 आवेदन करने के बाद भी नि: शुल्क बिजली कनेक्शन नहीं मिलना 67

36 ज्यादा खर्च के बिजली बिल 2

ज्क्ष्क्ष्क्ष् **अन्य 14**

37 पानी वितरण के मुद्दे 8

38 संपर्क सडकों के मुद्दे 5

39 निर्मल भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालय का लंबित भुगतान 1

**कुल 746**

**रेखा अत्रा, प्रम्**

'वेल्थहंगरलाइफ' और 'एकजुट' के परियोजना क्षेत्र में शैक्षणिक यात्रा: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सराहनीय सुधार

'उन्नति' के दो युवा कार्यकर्मियों ने झारखंड स्थित 'वेल्थहंगरलाइफ' की साथी संस्था 'एकजुट' के कार्य क्षेत्र में की तीन दिन (7-9 सितम्बर, 2015) की शैक्षिणिक यात्रा की थी। इस यात्रा का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा रहे तरीकों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। यूरोपीय संघ की सहायता से सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की परियोजना के तहत यह यात्रा की गई थी।

झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित निष्पादन नहीं किया जाता। यहां मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची है। इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय सभी प्रकार के इलाज के लिए ओझा (झांड-फूंक, बाबा, भौंपा) पर निर्भर रहता है। उनकी अस्पताल तक पहुंच सीमित है और वे काफी हद तक उपचार के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, अशिक्षा और गरीबी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के पीछे महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। एकजुट संस्था ने झारखंड और ओडिशा राज्यों की कई तहसीलों में नवजात शिशुओं और माताओं की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समुदायों का सशक्तिकरण करने की प्रक्रिया के तहत माता और नवजात शिशु के स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया है।

एकजुट भागीदारी की शैक्षणिक पद्धतियों (पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन - पीएलए) का उपयोग करती है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के समूहों की मदद से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाता है। चार चरणों में 24 बैठकें आयोजित की जाती हैं और हर महीने एक बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों का आयोजन रणनीतिक स्तर पर किया जाता है, जिनमें स्वास्थ्य से संबंधित एक मुद्दे को पहले से तय किया जाता है। महीने में एक बार समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है और अगली बैठक के लिए चर्चा की जाती है या मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। सहभागिता युक्त शैक्षणिक कामकाज समाज में प्रचलित असमानता की ओर समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है और समुदाय के सदस्य बहिष्कार के विभिन्न मापदंडों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं और हाशिए वाले लोगों जैसे विकलांग महिलाओं, एकल माता, गांव से बहुत दूर रहने वाली महिलाओं, अशिक्षित मां, गर्भवती महिलाओं, अधिक बच्चों वाली माताओं के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे सामाजिक आधार पर वंचित समूहों को शामिल करने के लिए सक्षम है। किशोरियों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए सूचित किया जाता है और बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में किशोरियों की संख्या 10-15 प्रतिशत रहती है।

बैठकें चार चरणों में आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक चरण में कई बैठकें (कभी-कभी तीन या चार) आयोजित की जाती हैं। प्रथम चरण में मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य के मुद्दों का निर्धारण करके उनकी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए विचार-विमर्श किया जाता है। इसके बाद, दूसरे चरण में प्राथमिकता वाले मुद्दों के लिए रणनीति तैयार की जाती है। तीसरे चरण में इन रणनीतियों को लागू किया जाता है। चौथे और अंतिम चरण में रणनीति के कार्यान्वयन के बाद, निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है। पहली बैठक के आयोजन के बारे में यह बताया जाता þ है कि गांव में किस प्रकार के कामकाज किये जायेंगे। इसके बाद चरणबद्ध बैठकों में भागीदारी की प्रक्रिया के आधार पर स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इन गतिविधियों को समुदाय द्वारा ही करने से गतिविधियों के साथ ही कार्यक्रम के प्रति समुदाय में स्वामित्व का भाव पैदा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोग आपस में सीखें।

इस्तेमाल किये जाने वाले सहभागी तरीके

**चिकने गोल पत्थर (गोटी) के खेल से समस्या की प्राथमिकता तय करना:** पहले चरण के दौरान चित्रों वाले पत्तों से माता और बच्चे के स्वास्थ्य की समस्याएं निर्धारित की जाती हैं और उसके बाद चिकने गोल पत्थर (गोटी) और मतदान के खेल के आधार पर समस्याओं की प्राथमिकता तय की जाता है। इस खेल में चित्रों वाले कार्ड को जमीन पर रखा जाता है और जिस समस्या की चर्चा नहीं की गई उसके लिए एक खाली कार्ड रखा जाता है। सभी प्रतिभागियों को छह चिकने पत्थर (गोटी) दिये जाते हैं। अब, जिसे जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण लगता हो, उस चित्र वाले कार्ड के पास उसे तीन पत्थर (गोटी) रखने को कहा जाता है, इसके बाद के दूसरे और तीसरे क्रम के मुद्दों के लिए एक पत्थर (गोटी) रखने को कहा जाता है। इसके बाद पत्थरों (गोटी) की गिनती की जाती है और जिस चित्र वाले कार्ड के पास सबसे अधिक पत्थर मिलें उसे गांव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। बाद में, चयन की गई समस्याओं के बारे में समुदाय को सूचित किया जाता है।

**कहानी सुनाना:** कामकाज की प्रक्रिया के दौरान लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए टीम द्वारा कहानी सुनाने का अभिनव प्रयोग किया जाता है। कहानी इस तरह तैयार की जाती है कि लोग कहानी के पात्रों के साथ अपने आपको को आसानी से जोड़ सकें। इसके अलावा, चरित्र का नाम समुदाय में आमतौर पर उपलब्ध नाम से रखना, स्थानीय माहौल पैदा करना, स्थानीय भाषा में कहानी कहना आदि जैसी रणनीति अपनाई गई हैं। अपना विचार अन्य लोगों के सामने पेश करने का सबसे अच्छा तरीका कहानी है और सब जानते हैं कि भाषण या व्याख्यान सुनने के बजाय कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है और यह आसानी से याद भी रह जाता है। इसके अलावा, समुदाय भी उसमें उत्साह पूर्वक भाग लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान मां और शिशु से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य के मुद्दो का वर्णन करने के लिए चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है।

**पुल बनाने का खेल:** समुदाय जिन रणनीतियों को लागू करना चाहता हो उन रणनीतियों को दर्शाने के लिए इस महत्वपूर्ण खेल का उपयोग किया जाता है। इसमें समूह के सदस्य अपने कमजोर स्वास्थ्य की वर्तमान परिस्थिति से अच्छे स्वास्थ्य की ओर जाने के लिए पुल निर्माण करने का प्रयास करते हैं। गांव या समुदाय में मौजूद व्यक्तियों द्वारा नदी के दो किनारे दर्शाए जाते हैं और उनके द्वारा तय समस्याओं और समाधान के आधार पर वे ऐसी सुयोग्य और लचीली रणनीतियां तलाश करेंगे, जो उन्हें नदी के सामने के किनारे, स्वास्थ्यप्रद स्थिति की ओर ले जाए। इस यात्रा के दौरान दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता बुंदु में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (संजीवनी समिति) वीएचएसएनसी बैठक में भी उपस्थित थे। ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति (वीएचएसएनसी) के सदस्यों और एकजुट संगठन के सहायक कार्यकर्ताओं की मदद से गांव की सहिया (आशा कार्यकर्ता) द्वारा बैठक का संचालन किया गया था। बैठक में माता और बच्चे के प्रतिरक्षण और पोषण के महत्व पर चर्चा की गई थी। यह गतिविधि एक लड़की के बचपन से लेकर गर्भवती होने तक और मातृत्व तथा मातृत्व के बाद के जीवन चक्र पर आधारित थी। महिलाओं ने टीकाकरण कराया या नहीं, उसके परिवार ने उसकी मदद कैसे की थी, सुरक्षित प्रसूति कैसे हुई, प्रसूति बाद के परिणाम और परिस्थिति कैसी थी तथा उन परिस्थितियों का सामना उसने कैसे किया, आदि सवालों पर चर्चा की गई थी।

अगले दिन खूंटी जिला की टोर्पा तहसील में बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक प्राथमिक सवालों के बारे में रणनीति बनाने के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में पहले उल्लेखित सेतु खेल का इस्तेमाल किया गया था।

**क्षेत्र सहायकों की भूमिका:** सहायक उसी गांव के निवासी होते हैं। इससे समुदाय में स्थानीयता की भावना पैदा हौती है और भाषा की बाधा भी आड़े नहीं आती। सभी चार चरणों के लिए, साथ ही जरूरत के अनुसार सहायकों को प्रशिक्षित किया जाता है। पीएलए प्रक्रिया क्रियान्वित करने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर सहयोग किया जाता है। सहायक की मुख्य जिम्मेदारी गांव में प्रति माह एक बार बैठक का आयोजन करना होता है। सहायकों की जरूरी आवश्यकताओं को समझने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाति है। क्षेत्रीय स्तर के सहायकों के मुख्य दायित्व इस प्रकार हैं:

1. ग्रामीण स्तर पर बैठकों का संचालन: सहायक गांव में पीएलए बैठक आयोजित करते हैं। सहायक यह सुनिश्चित करते हैं कि पिछड़े एंव वंचिंत लोग भी बैठक में उपस्थित रहें। इन बैठकों में पुरुष भी भाग लेते हैं, लेकिन उनकी भागीदारी महिलाओं की तुलना में कम रहती है। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्मी, सहिया (आशा कार्यकर्मी), पंचायत के निर्वाचित सदस्य आदि भी बैठक में मौजूद रहते हैं।

2. स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निर्धारण करने का कार्य समुदाय की भागीदारी से किया जाता है। माता और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

3. आशा और स्थानीय स्तर के अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्मियों के साथ सहयोग स्थापित करना।

4. वीएचएसएनसी बैठकों में भाग लेना और संबंधित गांवों को उनके काम के बारे में जानकारी प्रदान करना।

5. रोल प्ले के लिए सहयोग प्रदान करना: सहायक समूह की महिला सदस्यों को रोल प्ले में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस रोल प्ले में मुख्य रूप से गांव में माता और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

अवलोकन

**महिलाओं की भागीदारी:** हमने ग्रामीण स्तर की एक बैठक में सहभागिता निभायी थी। बैठक में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या अधिक (60) थी। इस क्षेत्र में आयोजित बैठकों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पायी गयी थी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्मीर् भी मौजूद थे और समुदाय के साथ बातचीत करके वे उन्हें नई जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रहे थे।

**कामकाज के साथ जुड़ाव:** स्वच्छता और पोषण के बारे में प्रदान की गई जानकारी का उपयोग महिलाएं अपने दैनिक जीवन में कर रही हैं। गांव में मच्छरों के प्रभाव से बचने के लिए महिलाएं और समुदाय उनके आसपास की जगहों को स्वच्छ रखते हैं, वे सोने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, भोजन से पहले और बाद में वे साबुन से हाथ धोते हैं, गंदा पानी जमा नहीं होने देते और संस्थागत सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सहभागी शैक्षणिक कामकाज (पीएलए) की प्रक्रिया में प्रसूति के बाद तत्काल गर्भनाल काटने का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा, समुदाय के सदस्यों को भी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है। परिवार द्वारा गर्भवती महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में हरी सब्जियों जैसा पोषक आहार दिया जाता है। इससे पहले, परिवार के सदस्य पारंपरिक सोच के अनुसार माता को उचित आहार नहीं देते थे। लेकिन, एकजुट के द्वारा शुरू कामकाज का अनुसरण करते हुए समुदाय ने इस परंपरा का अंत कर दिया है और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया है। मछली, हरी सब्जियों जैसे स्थानीय खाद्य उत्पादों के सेवन पर अधिक महत्व दिया जाता है। पहले शिशु को कई दिनों तक मां के स्तनपान से वंचित रखा जाता था। कई बार प्रसूति के बाद दो दिन के मां के स्तनपान (कोलोस्ट्रम) के बजाय बच्चे को बकरी का दूध पिलाया जाता था और पारंपरिक रिवाज के बाद ही, माता बच्चे को स्तनपान करा सकती थी, लेकिन अब गांव में बैठकों के लगातार आयोजन के मद्देनजर ग्रामीण नवजात शिशु को स्तनपान कराने के महत्व को समझे हैं। महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्मीर् द्वारा नियमित टीका लगाया जाता है और उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है।

**सुनियोजित बैठकें:** गांव स्तर की बैठकें अच्छी तरह से आयोजित की जाती हैं ये बहुत लाभकारी प्रतीत होती हैं, क्योंकि प्रस्तावित बैठक में कुछ विशिष्ट कार्य होना है, इसकी जानकारी समुदाय और समूह को होती है। गांव में अगली बैठक के आयोजित होने से पहले कार्यकर्मियों के साथ इसकी रूपरेखा बनाई जाती है।

**व्यावहारिक मार्गदर्शनः** बैठक के दौरान रसोई गार्डन के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, यह भी इस गतिविधि का सबसे अच्छा हिस्सा है, क्योंकि लोग इस गतिविधि को करते जरूरी हैं, लेकिन यह गतिविधि सटीकता के साथ कैसे करनी चाहिए और यह गतिविधि कितनी प्रासंगिक है, इसके बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है। कंगारू विधि जिसमें बच्चे को छाती से लगाए रखा जाता है, यह बच्चे को ऊष्मा देने के लिए एक बहुत ही उपयोगी तरीका है इसके बारे में जानकारी देना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में पैसे की व्यवस्था करना, वाहन की व्यवस्था करना, अस्पताल जाना संभव नहीं हो उस परिस्थिति में दाई का चयन करना, कपड़े स्वच्छ रखना और परिवार के सदस्यों द्वारा घर की नियमित सफाई करना आदि जैसी सावधानियों वाली बातें भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया के दौरान स्वच्छता ज्यादा महत्व की बात बन जाती है। पीएलए बैठकों में सहायक हाथ धोना की पूरी प्रक्रिया के चरणों का प्रदर्शन करते है और इस प्रक्रिया में समुदाय को भी जोड़ते है। इसलिए, समुदाय के सदस्य स्वच्छता और स्वास्थ्य गतिविधियों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करते हैं।

**पुरुष सदस्यों की भागीदारी:** लक्षित समूह में महिलाएं होने के बावजूद पुरुषों की भागीदारी का भी स्वागत है। महिलाओं और पुरुषों को शामिल करने वाली यह विवेकी मिसाल है, क्योंकि पुरुष परिवार के मुखिया हैं और सभी निर्णय उनके द्वारा लिये जाते हैं, इसलिए बैठकों में उनकी भागदारी से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। यदि परिवार के पुरुष सदस्य माता और बच्चे के स्वास्थ्य के महत्व से वाकिफ हों, तो वे महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर सुविधाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। कंगारू विधि को पुरुष अपना सकते हैं। ऐसा करने से महिलाओं पर घर और परिवार के कार्यों के बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी।

**सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करवाने वाले कर्मचारियों और समितियों के साथ जुड़ाव:** सहभागी शैक्षणिक काम-काज (पीएलए) बैठकों के समानांतर, पीएलए प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। उन बैठकों में वीएचएसएनसी के सदस्य, सहिया (आशा कार्यकर्ता), एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत के निर्वाचित सदस्य और ग्रामीण भाग लेते हैं। इस प्रकार की बैठकों का आयोजन एक महीने में एक बार किया जाता है और हर महीने विभिन्न सवालों पर चर्चा की जाती है। सहिया, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से बैठकों में भाग लेकर स्वास्थ्य पोषण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं। इस प्रकार, समुदाय के सदस्य व स्वास्थ्य और पोषण की योजना के साथ जुड़े हैं। बैठकों में बहिष्कृत समुदायों को शामिल करने पर अधिक जोर दिया गया है और योग्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के साथ जोड़ रहे हैं।

**सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन:** मां और बच्चे के स्वास्थ्य के सवालों के लिए इस क्षेत्र में एकजुट के प्रयासों के कारण परिस्थिति में बहुत सुधार देखने को मिला है। लोग मां और शिशु के लिए अच्छा और तंदुरुस्त वातावरण प्रदान करने के लिए उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। सहिया (आशा), एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्मी (एडब्ल्यूडब्ल्यू) जैसे सेवा प्रदाता भी पीएलए की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। अगली पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्मी बैठकों के आयोजन के लिए सभी आवश्यक मदद करते हैं। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा (आरएसबीवाई), एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), मिड-डे मील (एमडीएम) आदि जैसी स्वास्थ्य व पोषण संबंधी योजनाओं और उसके तहत मिलने वाले अधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है। इस प्रकार, सरकारी कर्मचारियों के साथ भी सहयोगी संबंध स्थापित होते हैं। सहिया (आशा कार्यकर्मी), जल सहिया, पंचायत के निर्वाचित सदस्य, गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्मी स्वयंसेवकों और वीएचएसएनसी के सदस्य भी इन बैठकों में मौजूद रहते हैं। कुपोषण से लेकर बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है। समुदाय में अब बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण जैसी समस्याओं के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में समझ बनी है।

(हमें सीखने का अमूल्य अवसर प्रदान करने के लिए हम वेल्थहंगरलाइफ और एकजुट के सहयोगियों तथा ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हैं। इस यात्रा से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कुशलता से प्रदान करने के लिए और माता व शिशु के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाने के क्षेत्र में काम करने की हमारी पर्याप्त समझ बनी है।)

जोधपूर में दलित युवा सम्मेलन - दलित कल आज और कल

- तोलाराम चौहान

मानवाधिकार की उठती आवाजों के बीच दलित मुद्दों को लेकर पश्चिमी राजस्थान में कईसंगठन सक्रिय हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले कुछ समय से अलग-अलग क्षेत्रों में हुई बैठकों में यह माना गया कि हाल ही में दलित अत्याचारों की शिकायतों में बढोत्तरी हुई है। समय रहते इस पर सभी संगठन समान सोच के साथ आगे आयें, तभी न्याय की प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और संयुक्त राष्ट्र के समझौते जैसे अनुच्छेद 5 (बी), सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव के अंत के लिए समझौता 1965 एवं अनुच्छेद (6) नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध 1966 के तहत किया गया है। ये प्रवाधान दलितों के हक में और सामाजिक रूप से बहिष्कृत अन्य समुदायों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। आवश्यकता है तो बस इनकी पुरजोर पालना की। इसी संदर्भ में 'दलित कल, आज और कल' का प्रयास महत्वपूर्ण है। 22 नवम्बर 2015 को जोधपुर मेघवाल बगीची में उपस्थित 250 लोगों की संख्या मानो दलित अधिकार अभियान का पुर्नजागरण होने का संकेत दे रही थी। सबसे सराहनीय बात थी कि उपस्थित जन समूह में अधिकतर युवाओं की भागीदारी रही। ये सभी साथी स्वयं उत्सुक व सामाजिक मीडिया सम्पर्क से प्रेरित होकर वहां उपस्थित हुए थे। यह सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि पिछले एक वर्ष में हुए दलित अत्याचारों पर विचार-विमर्श हो सके एवं उनके कानूनी तथा सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा सके, संगठन की सक्रियता में पुन: ऊर्जा का संचार किया जाए और साथ ही पीड़ितों को अपनी बात कहने के लिए बड़ा मंच भी मिले और अधिकाधिक लोग उनकी पीड़ा में सहभागी बन सकें। जोधपुर संभाग स्तर पर आयोजित इस महा सभा में 6 जिलों की 63 पंचायत समितियों से 2-2 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस महा सभा में जागरूक साथियों एवं कार्यकर्मिंयो की भागीदारी रही।

सम्मेलन की रूपरेखा निर्धारण के दौरान 21 सदस्यों की एक समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य था कि सभी कार्य सुचारू रूप से समयानुसार किये जा सकें। सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष युवा कार्यकर्मियों द्वारा स्वयंसेवा भाव से सम्पन्न किये गये कार्य एवं उनका पारदर्शी आयोजन रहा। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए सभी केसों के पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। बुद्धाराम मेघवाल जिन्होने अपने भाई को हाल ही में एक घटना में खोया है, कहा कि हम बाबा साहब के द्वारा दिये गये कानून के कारण ही न्याय की बात कर पा रहे हैं। दलितों की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है, जिसके कारणों पर आज दिन भर में हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे। कारणों के विश्लेषण के बाद इन सभी से निजात दिलाने के हल खोजने के प्रयास करेंगे।

सम्मेलन में सर्वप्रथम पीड़ित पक्ष ने अपनी पीड़ा एवं अनुभव बताए। उदाहरण के लिए बाड़मेर जिले के खेजड़ियाली गांव से आये चौथाराम ने अपने भाई गोविन्द की हत्या के मुकदमे तथा न्याय के लिए किए गये प्रयासों से सदस्यों को अवगत करवाया। इसी कड़ी में मेवानगर, बालोतरा से आये बुद्धाराम ने अपने भाई पोलाराम की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए अब तक की प्रगति एवं उसमें आने वाली बाधाओं से अवगत कराया। सूचना के अधिकार से नहरी क्षेत्र रामगढ़, जैसलमेर में सैकड़ों बीघा दलितों की जमीन से कब्जा हटवाने के मामले की पैरवी करने वाले अध्यापक बाबूलाल ने बताया कि हक की इस लड़ाई के कारण उन पर जानलेवा हमला हुआ और हाथ-पैर तोड़कर नहर में डालने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि आरोपियों ने उनके शरीर को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन हौसला नहीं तोड़ पाये। सभा के दौरान 10 से अधिक लोगों ने गंभीर मामलों एवं प्रक्रियाओं पर अपने कार्य एवं अनुभव के आधार पर विचार व्यक्त किये।

उपरोक्त केसों के संदर्भ में बाड़मेर पंचायत समिति के भूतपूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल ने पिछले एक वर्ष के दौरान बाड़मेर जिले में हुएकेसों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वास्तव में पीड़ित के साथ लोगों व समाज का जुड़ाव अत्यावश्यक है, ताकि स्थानीय स्तर पर दबाव बनाया जा सके और पीड़ित परिवार को भी संबल मिल सके। यही नहीं केस के पूर्व, पैरवी के लिए पूरी कानूनी तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसमें किसी भी प्रकार की ढील का मतलब न्याय प्रक्रिया का बाधित होना है। किशन मेघवाल ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 498 (ए) एवं 498 (बी) के प्रयोग पर प्रकाश डाला। गोरधन जयपाल ने दलित महिला संदर्भों की गंभीर पैरवी के साथ ही महिला अत्याचार एवं उनकी निर्णय में भागीदारी पर प्रकाश डाला। उनका सुझाव था कि वास्तव में किसी भी मंच पर महिला भागीदारी के बिना उनकी पीड़ा को न तो आवाज मिल सकती है और न ही सशक्त तरीके से उठाया जा सकता है। अत: दलित महिला मंच के लिये विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। फलोदी धौलाबाला से संतोष लखन वाल्मिीकि का कहना था कि सीवरेज में काम करने वाले श्रमिकों के लिए किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराये जाते और बिना बचाव के तरीकों के सीवरेज में काम करते हुए श्रमिक की मौत हो जाती है। ऐसी घटनाओं को हादसे का नाम दिया जाता है जबकि ये एक प्रकार से हत्या है, क्योंकि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठा रहता है। इस प्रकार के कार्यों के दौरान श्रमिक को किसी प्रकार की सुरक्षा या पर्याप्त अनुदान नहीं दिया जाता। भरत भाटी एवं किशन खुड़ीवाल ने दलित युवा संगठन एवं सकारात्मक जुड़ाव पर प्रकाश डाला। दलित महिला प्रतिनिधि ललिता पंवार ने अपने विचार रखे। सभी वक्तताओं के विचारों समस्त वार्ता को समेटते हुए भंवर मेघवंशी ने कहा कि हर केस के तथ्यों पर गौर किया जाना चाहिये एवं उसी आधार पर न्याय मांगने की रणनीति तय की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य स्तर पर संगठनों का एक ऐसा सशक्त नेटवर्क हो, जिसे मात्र मुद्दा आधारित पैरवी से ही सरोकार हो, न कि किसी प्रकार की दलगत राजनीति से। मीडिया को पैरवी का अहम् हिस्सा मानते हुए उन्होंने जिम्मेदारी ली कि एक टीम ऐसी तैयार की जाएगी, जो केस का बेहतर दस्तावेज तैयार कर सकेगी।

खुले सत्र के दौरान सभी जिलों से आये ब्लॉक प्रतिनिधियों ने क्षेत्रवार मुद्दों एवं उनकी वर्तमान स्थितियों पर विचार रखे, बालोतरा से हुकमेश राठौड़, शिव से ए.के. पंवार, कल्याणपुर से पेंपाराम बारूपाल, फलौदी से शिवलाल बरवड़, समदड़ी से फूलचंद के पी, सिवाना से सुभाष जयपाल, सिणधरी से मोटाराम गौड, जैसलमेर से प्रभुराम राठौड़, बाप से अशोक ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन तोलाराम चौहान द्वारा किया गया। केसों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वकीलों की टीम आपकी कानूनी जानकारी एवं सहयोग के लिए सदैव निःशुल्क तैयार रहेगी, जिसके बारे में दिये गये पैम्फलेट में सम्पर्क की जानकारी एवं घटना होने पर प्राथमिक सूचना के तौर पर उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी से अवगत करवाया गया है। इस आधार को मजबूती देने के लिए ब्लॉक एवं गांव स्तर पर कमेटियों का गठन हो और ऐसे सदस्यों को जोड़ा जाए, जो न्याय की प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाएं एवं न्याय मिल जाने तक पीड़ित के साथ रहें। तय किया गया कि समय-समय पर प्रत्येक ब्लॉक में सम्पर्क व्यक्ति के माध्यम से जानकारी प्रेषित होती रहेगी। किसी मुद्दे पर कार्यवाही से पूर्व उसकी पूर्व पड़ताल की जाए, दलित अधिकार संगठन का एक घोषणा-पत्र तैयार किया जाए, साथ ही इसमें सभी दलित संगठनों के लिए आगामी समय में उठाये जाने वाले मुददों का संकलन हो। कार्यक्रम में सुभाष राठौड, जोगराज सिंह मेघवाल, सरिता मौर्य, जयन्त लायक ने भी सहयोग किया।

गरीबों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्यता

उचित मूल्य की दुकानों से कम सामान मिलने की शिकायतों का निवारण

- दीपा सोनपाल

सितंबर-दिसंबर और मई-अगस्त, 2014 के पिछले अंकों में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) से बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए राशन उपलब्ध कराने के लिए बारकोड कूपन जारी करने और बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के लिए मुआवजे के रूप में पांच रुपए के लाभ के बारे में चर्चा की गई थी। समुदाय के साथ बातचीत के दौरान गुजरात के साबरकांठा जिले की विजयनगर तहसील में पिछले डेढ़ साल से बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि एफपीएस/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एकदो किलो अनाज कम मिल रहा है। एफपीएस दुकान मालिकों के साथ बात करने पर पता चला कि उन्हें भी राशन कम मात्रा में मिल रहा था। साबरकांठा जिले के कलेक्टर और विजयनगर तहसील के तहसीलदार को इस मामले के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर राशन की मात्रा ही कम मिल रही है तो इस बारे में तहसील या जिला स्तर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन इस संबंध में गांधीनगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ चर्चा करना जरूरी है। इस बारे में गांधीनगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक को सूचित किया गया और इसके साथ ही विजयनगर तहसील की एक एफपीएस दुकान के मालिक ने भी बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या की तुलना में करीब 100 किलो गेहूं कम मिलने की तहसीलदार को लिखित शिकायत भी दी गयी थी। इस आवेदन के आधार पर एफएंडसीएस के निदेशक ने साबरकांठा जिला आपूर्ति अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए, क्योंकि उनकी राय में, आपूर्ति की मात्रा 100 प्रतिशत थी और मात्रा ऑनलाइन भरी गई थी जिसमें कमी की कोई संभावना नहीं थी। इसके विपरीत, प्रत्येक कार्ड धारक और एफपीएस दुकान मालिक इन विवरणों को ऑनलाइन देख सकते थे।

जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) ने विजयनगर तहसीलदार कार्यालय में जाने पर एफपीएस की दुकान पर मात्रा में कमी के लिए दो कारणों का पता चला। पहला तो यह मात्रा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले कार्डधारकों की संख्या के अनुसार ही मिलती है। इसलिए जिन व्यक्तियों या कार्डधारकों की यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो और डेटा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया हो, तो दुकान मालिक को बहुत कम मात्रा में राशन मिलेगा। दूसरा, प्रत्येक एफपीएस दुकान के मालिक को हर महीने शेष रही मात्रा की जांच करनी होती है और अगर उसके पास अनाज की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बची हो तो उसे शून्य करना होता है या तहसील के गोदाम से मात्रा जारी करने की अनुमति प्रदान करते समय संबंधित तहसील कार्यालय पर या कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) में ऑनलाइन संचालन करना होता है। शेष को ऑनलाइन शून्य करने का अधिकार एनआईसी तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय की आपूर्ति शाखा को दिया जाए तो ही इसमें सुधार हो सकता है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए एनआईसी ने फरवरी 2015 में ऑनलाइन शेष में सुधार करने का अधिकार तहसील कार्यालय की आपूर्ति शाखा को दिया था। हालांकि पर्याप्त तकनीकी समझ नहीं होने के कारण शेष को ऑनलाइन शून्य करना संभव नहीं हो पाया। इस प्रक्रिया के दौरान साबरकांठा जिला कलेक्टर और आपूर्ति विभाग के निदेशक की बदली हो गई। नए अधिकारियों के साथ फिर से संपर्क करके उनको समस्या से परिचित कराया गया था।

अगस्त 2015 में, गुजरात खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक और विजयनगर तहसील के तहसीलदार के साथ संयुक्त बैठक में एक लिखित आवेदन दिया गया था कि तहसील की सभी सस्ते अनाज की दुकानों में अनाज की मात्रा कम आती है। इसके बाद फिर एनआईसी द्वारा जिले के आपूर्ति विभाग को शेष मात्रा में सुधार करने के अधिकार दिए गए थे। लेकिन इस बार भी पर्याप्त तकनीकी समझ नहीं होने के कारण है शेष को ऑनलाइन शून्य करना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद गुजरात खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक के समक्ष फिर से बात रखी गई। दिसम्बर 2015 में आपूर्ति विभाग की टीम ने विजयनगर तहसील में जाकर वहां के कर्मचारियों को यह जानकारी प्रदान की कि ऑनलाइन शेष में सुधार कैसे कर सकते हैं और कहा कि उनको कमी के कॉलम में कमी को दर्शाना होगा। इस प्रकार, जनवरी 2016 का सस्ते अनाज की दुकान का लाइसेंस (परमिट) जारी करते समय कमी के कॉलम में किसीकिसी दुकानों की कमी भर दी गयी, और फिर यह पता लगा कि तहसील की 40 दुकानों को पूरी मात्रा मिल रही है।

न्यूज क्लिपिंग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियन (एनएफएसए):

गरीब वर्ग के लिए आशाजनक कदम

(जोन ड्रेज द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया यह लेख द हिन्दू अखबार में जनवरी 13, 2016 को प्रकाशित हुआ था। उसका हिन्दी अनुवाद यहा दिया गया है। लेखक डिपार्टमेन्ट ओफ इकोनोमिक्स (अर्थशास्त्र विभाग), रांची विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर हैं)

आखिरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पिछड़े राज्यों में प्रगति हो रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए गए सुधारों के मद्देनजर सभी जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के साथ ही खाद्यान्न की थोड़ी सहायता करना अब संभव लगता है।

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में धोबारग्राम नामक छोटा सा संथाल गांव स्थित है। गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं। गांव में ज्यादातर परिवार गरीब या अति गरीब स्थिति में जीवन गुजारते हैं। हालांकि, कुछ परिवारों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी कही जा सकती है। वे आर्थिक रूप से समृद्ध तो नहीं हैं, लेकिन उनके पास पक्के मकान और मोटर साइकिल है, जिसका काफी हद तक श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र की स्थायी नौकरी को जाता है। क्या दयनीय गरीबी की तुलना में बेहतर जीवन जीने वाले इन गिने-चुने परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से बाहर रखना चाहिए? इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर देने से सार्वजनिक खर्च में वृद्धि होगी। इसके अलावा, ये परिवार कुपोषण के जोखिम से मुक्त हैं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को लागू करने के दौरान इन परिवारों को बाहर रखने से पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों की मुसीबतें बढ़ सकती है। उन्हें बाहर रखने से असंतुष्टों को छोटा लेकिन शक्तिशाली समूह एकत्र होकर एक अन्य तरह से पीडीएस को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर, इन लोगों को शामिल करने से पूरी व्यवस्था पर काफी बोझ बढ़ जाता है।

**सुधारात्मक ढांचा**

धोबारग्राम में पिछले महीने घरेलू सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें इस तथ्य की पुष्टि हुई कि पश्चिम बंगाल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी रेखा के नीचे वाले (बीपीएल) परिवारों की सूची पुराने और दोषपूर्ण आधार पर बनी हुई है।

105 परिवारों में से केवल 29 परिवारों के पास ही बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड (अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए कार्ड) था। बाकी परिवारों के पास एपीएल (गरीबी रेखा से उपर) कार्ड था या कार्ड ही नहीं था। इस वर्ग के परिवारों को मिट्टी के तेल को छोड़कर पीडीएस से बाहर रखा गया है। धोबारग्राम के 78 प्रतिशत परिवारों को एनएफएसए राशन कार्ड की नई सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें इस महीने वितरित किया जाएगा। इसके अलावा, प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेष 22 प्रतिशत परिवारों को आधिकारिक मापदंड की श्रेणी में होने के कारण बाहर रखा गया है जैसे उनकी सरकारी नौकरी थी या कम से कम तीन कमरों वाला पक्का मकान था। सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 पर आधारित नई सूची बीपीएल सूची की तुलना में अधिक समावेशी होने के साथसाथ अधिक प्रमाणिक है।

धोबारग्राम का उदाहरण यह दर्शाता है कि यदि पिछड़े राज्यों में एनएफएसए को अच्छी तरह से लागू किया जाए तो व्यापक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके इस लाभ को बढ़ाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति लंबे समय से बहुत खराब थी। छत्तीसगढ़ में सफल रही, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में सफलता पूर्वक अपनाये गये सुधारों को वर्तमान में पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। इन सुधारों के पश्चिम बंगाल में भी सफल होने की उम्मीद है।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में या धोबारग्राम स्थिति बिल्कुल अच्छी है। धोबारग्राम के कई परिवारों का नाम राशन कार्ड की सूची में शामिल नहीं है। हो सकता है कि एसईसीसी से उन परिवारों को सूची में शामिल करने में भूल हुई हो या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। कई मामलों में परिवार के सदस्यों के नाम ही राशन कार्ड में नहीं हैं, जब से पीडीएस के मिलने वाले लाभ एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति देना तय किया गया है, तब से यह महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। इसके अलावा, राशन कार्ड की सूची की तुलना में कुछ अंत्योदय परिवारों को नई सूची में शामिल किया गया है। यह समस्या अन्य राज्यों में भी मौजूद है। इस समस्या के निवारण के लिए एनएफएसए सूची पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। एनएफएसए की व्यवस्थाओं में यह सुधार किया जा सकता है।

परिवर्तन की हवा

झारखंड और उड़ीसा में एनएफएसए को लागू करने का काम चल रहा है। इन राज्यों में थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद इसे लागू कर दिया गया है। कई राज्यों में एनएफएसए को लागू करने में देरी का सबसे बड़ा कारण और चुनौती पात्र परिवारों की पहचान तय करना है। लगभग सार्वभौमिक आधार पर परिवारों (ग्रामीण झारखंड में 86 प्रतिशत और ग्रामीण उड़ीसा में 82 प्रतिशत) को शामिल करने के बावजूद, यह बहुत कठिन कार्य है। झारखंड ने पश्चिम बंगाल से मिलती जुलती पद्धित अपनायी थी: राशन कार्ड की प्रारंभिक सूची एसईसीसी (अपेक्षाकृत समृद्ध परिवारों को शामिल नहीं करके) आंकड़ों से तैयार की गई थी, और फिर लोगों की शिकायतों के आधार पर उस सूची में संशोधन किया गया था।

इस पद्धित की मुख्य समस्या यह है कि एसईसीसी आंकड़ों में गलतियां और कमियां हैं, जिसे हमेशा शिकायत की प्रक्रिया द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ओडिशा में अलग तरीका अपनाया गया था: राशन कार्ड आवेदक को यह प्रमाण देना आवश्यक है कि वे योग्यता के अनुरूप मानदंड रखते हैं इसके बाद स्थानीय कर्मचारियों व अधिकारियों को आवेदक के इस प्रमाण की पुष्टि करनी होती है। इस दृष्टिकोण की समस्या यह है कि अपेक्षाकृत संपन्न परिवार कई बार यह दावा करते हैं कि मानदंड के अनुसार उनकी पात्रता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रमाण देने के लिए एक विश्वसनीय व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। बिहार और झारखंड में इस पद्धति के सफल होने के बारे में मुझे संदेह है।

इन तरीकों में से कौन सा अच्छा है, यह कहना जल्दबाजी होगी। इसके अलावा, इसके लिए अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। जैसे, मध्य प्रदेश में पीडीएस को ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय निवासियों के विवरण (समग्र रजिस्टर) की पहल को जोड़ा गया है। इसके साथ ही कोई ऐसी राय व्यक्त कर सकता है कि केवल 10 या 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को अलग रखने के लिए इतनी परेशानी उठाना ठीक नहीं है, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में सार्वभौमीकरण सबसे अच्छा उपाय है। बहरहाल, एक बात स्पष्ट है कि बीपीएल सर्वेक्षण की तुलना में हम इन दिनों काफी अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा, पारदर्शिता पूरी प्रक्रिया की एक सकारात्मक विशेषता है। झारखंड में एनएफएसए राशन कार्ड की सूची आवश्यक जानकारी के साथ सरल प्रारूप में नेट पर उपलब्ध है। इसलिए, धोखाधड़ी या अनियमितताओं की संभावना अब बहुत कम हो गयी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए गए सुधारों के प्रभाव पिछड़े राज्यों में भी दिखाई देने लगे हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में हाल ही में किया गया सर्वेक्षण पिछले कुछ वषोर्ं में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को दर्शाता है। एनएफएसए में बाद में शामिल राज्यों (झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम सहित अन्य राज्य) में ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे इस तरह का बदलाव नहीं ला सकें। इससे पहले, कई राज्यों में विशेष रूप से ओडिशा में एनएफएसए को लागू करने से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू की और सकारात्मक परिणाम प्राप्त किये।

**भावी**

हाल के शोध के आधार पर बनी सोच मीडिया रिपोर्टो से अलग है। मीडिया रिपोर्ट परेशानियों और अनियमितताओं पर अधिक जोर डालती हैं: उड़ीसा के धनाढ्य मेयर द्वारा राशन कार्ड हासिल करने की जानकारी या झारखंड के एक व्यक्ति को पता चला कि उसके नाम पर गलती से 366 राशन कार्ड जारी किए गए थे। इन अनियमितताओं पर प्रकाश डालना नि:संदेह उनके कर्तव्य का हिस्सा हैं, लेकिन सकारात्मक पहलुओं की व्यापक तस्वीर पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विभिन्न राज्यों में एनएफएसए के प्रभाव का आंकलन करना भी आवश्यक है।

अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। एनएफएसए को सबसे आखिर में लागू करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश में शामिल है। लगभग 10 लाख टन खाद्यान का आवंटन तथा पुरानी व्यवस्था के तहत अत्यधिक प्रतिबंधात्मक सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले उत्तर प्रदेश के लिए एनएफएसए किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक फायदेमंद है। हालांकि, उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे खराब प्रशासन वाले राज्यों में होती है। उत्तर प्रदेश में सालों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गलत फायदा उठाने वाले भ्रष्ट बिचौलियों को हटाने के लिए कई सुधार करने की जरूरत है। चुनाव का समय निकट आने के साथ खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा भी जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

अंत में, यह याद रखना आवश्यक है कि एनएफएसए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में माता के अधिकार भी शामिल हैं, जिसकी अधिनियम लागू हुआ, तब से केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एनएफएसए अधिकारों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। कई राज्यों में अब कई परिवार सब्सिडी वाली दालें और खाद्य तेल भी प्राप्त करने के पात्र हैं। सभी वंचित परिवारों को शायद पहली बार भोजन (पोषण युक्त) सहायता और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की वास्तविक संभावनाओं का पता चल रहा है।

सब्सिडी के विकल्पों की समीक्षा पर वित्त मंत्री के साथ सामाजिक क्षेत्र की विचार-विमर्श

यह लेख द हिन्दू अखबार में जनवरी 13, 2016 को अंग्रेजी भआषा में प्रकाशित हुआ था। उसका हिन्दी अनुवाद यहा दिया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के साथ जुड़े संगठन चाहते हैं कि सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले वित्त मंत्री सब्सिडी की वैकल्पिक प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा करें।

वित्त मंत्री अरुण जेटली और सामाजिक क्षेत्र के समूहों के प्रतिनिधियों के बीच पिछले मंगलवार को बजट पूर्व बैठक 12 जनवरी को आयोजित की गई थी। बैठक के बाद, भोजन अधिकार अभियान की प्रतिनिधि दीपा सिन्हा ने बताया कि 'देश के विभिन्न भागों में वस्तु हस्तांतरण के सफल क्रियान्वयन के सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं। सरकार जेएएम (जन धन योजना-आधार-मोबाइल) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की योजनाओं को आगे बढ़ाए उससे पहले हमने वित्त मंत्री को वैकल्पिक योजनाओं के सभी सफल उदाहरणों पर ध्यान देने की सिफारिश की है।

दीपा सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए धनराशि तय करने से पहले मुद्रा स्फीति को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से देश की स्कूलों में दाल नहीं परोसी जा रही। इसके अलावा, महात्मा गांधी नरेगा बजट में भी मुद्रा स्फीति पर ध्यान देने और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के आधार पर उसका मापन करने की सिफारिश की गई थी।

जन स्वास्थ्य अभियान के प्रतिनिधि रवि दुग्गल ने कहा कि, 'भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय मानक की तुलना में काफी कम खर्च होता है। गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडिचेरी जैसे कई राज्यों में स्थिति अच्छी है लेकिन कुल मिलाकर इस क्षेत्र में धनराशि कम आवंटति की जाती है।

श्री दुग्गल के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 2.5-3 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल के लिए होना चाहिए। भारत में यह लगभग एक प्रतिशत है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में डॉक्टरों और नर्सों की कमी भी एक समस्या है।

उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। भारत में पर्याप्त डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए आकर्षित नहीं कर पाना एक मुख्य समस्या है। श्री दुग्गल ने थाईलैंड जैसी व्यवस्था की सिफारिश की थी, जहां डॉक्टरों को कुछ वर्षों के लिए अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना होता है और उसके बाद ही उन्हें निजी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिल सकता है।

वॉटर एड की ममता दास के अनुसार 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत कर (टैक्स) और विश्व बैंक द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के बाद इन कार्यों के लिए सरकार के पास प्रचुर मात्रा में धनराशि है। हमने वित्त मंत्री से इस संबंध में खर्च पर स्पष्ट योजना बनाने की सिफारिश की है।

जब सरकार सब्सिडी सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की योजना का विस्तार करना चाहती है तब यह मांग पैदा हुई है।

सामाजिक क्षेत्र के समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान जेटली ने कहा कि 'सरकार की प्राथमिकताओं में समावेशी विकास को अग्र स्थान दिया गया है तथा देश के बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर्याप्त उपाय करेगी।

सभी इकाइयों द्वारा सर्व सम्मति से सामाजिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त धन देने की अपील की गई थी। इन समूहों के अनुसार पिछले बजट में सामाजिक क्षेत्र का खर्च उठाने की जो जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी वह योजना सफल नहीं रही है। कई राज्य सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए केन्द्रीय वित्त पोषण पर निर्भर रहते हैं।

वित्त मंत्री के साथ बैठक में करीब 20 विभिन्न समूह शामिल हुए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, साफ-सफाई और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे इनमें से प्रत्येक ने अपनी सिफारिशों का महत्व दर्शाते हुए 3-4 मिनट की प्रस्तुतियां दी थी।

चाइल्ड राइट्स एंड यू, शिक्षा का अधिकार फोरम और राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के समक्ष इस क्षेत्र में और अधिक धन, अधिक जवाबदेही और बेहतर प्रबंधन की मांग पेश की थी।

संदर्भ: http:/www.thehindu.com/ todays-paper/tp-business/social-sector-asks-jaitley-to-review-subsidy-alternatives/article8099515.ece

**सरकार को स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए धनराशि तय करने से पहले मुद्रा स्फीति को भी ध्यान में रखना चाहिए।**

- दीपा सिन्हा, 'राइट टू फूड कैम्पेइन'

**भारत में पर्याप्त डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए आकर्षित नहीं कर पाना एक मुख्य समस्या है।**

श्श्- श्री दुग्गल

संदर्भ सामग्री

गुजरात राज्य में औद्योगिक इकाइयों विशेष रूप से रासायनिक इकाइयों और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में जोखिम को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए वटवा जीआइडीसी में वटवा और वृंदावन अवधारणा के तहत काम-काज किया जा रहा है। इसके अलावा, 'उन्नति' और 'गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण', गांधीनगर द्वारा जीआइडीसी में जोखिमों के प्रबंधन पर काम चल रहा है। इसके तहत वटवा में 500 रासायनिक इकाइयों में उपयोग किए जा रहे कच्चे माल, निर्माण, प्रसंस्करण, औद्योगिक उपकरण आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया गया है। इन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को जोखिम और प्रतिक्रिया के लिए जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सबकी रासायनिक इकाइयों के खतरों और उनकी प्रतिक्रिया की समझ बढ़ाने के लिए दो प्रकार का साहित्य तैयार किया गया है:

**(1) जोखमी रसायनों के प्रभाव और उनके उपचार पर पुस्तिका:** इस सूचना पुस्तिका में वटवा जीआइडीसी में रासायनिक इकाइयों में मुख्य रूप से प्रयुक्त 16 प्रकार के रसायनों को शामिल किया गया है। इन 16 प्रकार के हानिकारक रसायनों की बनावट, उनके गुणों, रासायनिक प्रभाव के बाद के लक्षणों के साथ ही उनके ऐंटिडोट (विषमारक) और प्राथमिक चिकित्सा जैसी उपयोगी जानकारी दी गई है। इस सूचना पुस्तिका का प्रयोग व्यक्तिगत पढ़ने, समूह में पढ़ने और चर्चा करने, कर्मचारी और समुदाय के प्रशिक्षण के दौरान किया जा सकता है।

**(2) जागरूकता के लिए पोस्टर सेट:** इस पोस्टर सेट में पांच प्रकार के संदेश दिए गए हैं। गैस रिसाव या रासायनिक स्राव के दौरान आम तौर पर उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी गई है। इन पोस्टरों को औद्योगिक इकाइयों, समुदाय और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा, समूह चर्चा के लिए भी पोस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: उन्नति।

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क: दीपा सोनपाल,

ईमेल: sie@unnati.org, publication@unnati.org

उन्नति

**विकास शिक्षण संगठन**

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोन: 079-26746145, 26733296 फैक्स: 079-26743752

Email: sie@unnati.org, publication@unnati.org

website: unnati.org

**राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय**

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोन: 0291-3204618

Email: jodhpur\_unnati@unnati.oirg

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।